



हिन्दी आन्दोलन 1957

डा.चन्द्र प्रभाकर कोकड़ा

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	विषय-दर्पण	पृ.सं.
	प्राकथन	3
1	सम्मान का अधिकार	7
2	हिन्दी आन्दोलन 1957	16
3	साझों का महा समुद्र	19
4	दर्शन, अध्यात्म और सत्ता	20
5	मातृभाषा का संग्राम	21
6	विचार की सत्ता	22
7	तन्त्र का पतन	23
8	मानवाधिकारों का हनन	23
9	जन संवाद	24
10	भावी पीढ़ियों के नाम	25
11	सहस्रत्याग्रहियों का	48
12	प्रशासनिक सुधारों की	48
13	ग्रन्थ का संकल्प	49
14	Zero और शून्य काम	49

15मातृभाषा हिन्दी की	50
16इतिहास की अदालत	51
17लोकप्रशासन में	52
18भावी शोधकर्ताओं	52
19अखंड स्वाभिमान	53
20हिन्दी आन्दोलन उद्घोष	54
21अखंड ज्योति	55
22न्याय का संकल्प	55
23एतिहासिक लेखा जोखा	56
24विश्व मानवता के नाम	56
25लोक चेतना	57
26शब्द,संगीत और आध्यात्म	58
27दार्शनिक शिखर	58
28महा संदेश	59
29सत्याग्रह 'साहित्य	60
30शून्य की परम स्थिति	61
31अन्तिम उद्घोष	61
32एतिहासिक समापन	62



हिन्दी आन्दोलन 1957

डा.चन्द्र प्रभाकर कोकड़ा

प्राकथन (Preface)

सत्य की ज्वाला, सत्ता का तमस और इतिहास का निर्भीक दस्तावेज़

१. इतिहास की माटी और सत्याग्रह का बीज

इतिहास केवल तिथियों, युद्धों और राजवंशों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा नहीं होता। इतिहास की वास्तविक धारा उन अदृश्य, निष्काम और अडिग आत्माओं के रुधिर और स्वेद से सिंचित होती है, जिन्होंने किसी भौतिक प्रलोभन या तात्कालिक ख्याति की लालसा के बिना राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया।

वर्ष १९५७ का हिंदी आंदोलन स्वतंत्र भारत के भाषाई और सांस्कृतिक इतिहास का वह पावन महा-यज्ञ था, जिसमें मातृभाषा के स्वाभिमान की रक्षा हेतु हजारों निष्ठावान युवाओं और विचारकों ने लाठियों के प्रहार सहे, कारगार की सर्द दीवारों को अपनी तपस्या से तपाया और औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों से भारत की आत्मा को मुक्त कराने का शंखनाद किया।

उस समय न तो किसी राज्य सम्मान की योजना थी, न किसी पेंशन का आश्वासन और न ही किसी ताम्रपत्र की लालसा। वह संघर्ष केवल और केवल मातृभाषा के प्रति उस अनन्य निष्ठा का परिणाम था, जो हर सच्चे सत्याग्रही के रक्त में प्रवाहित होती है।

२. स्वतंत्र भारत का प्रशासनिक तमस और 'प्रकरण ०८०७८४'

दशकों बाद जब राज्य सरकारों ने 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' जैसी योजनाओं के माध्यम से उन वयोवृद्ध सत्याग्रहियों के त्याग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने का स्वांग रचा, तो आशा यह थी कि प्रशासनिक तंत्र कृतज्ञता और सम्मान के भाव से कार्य करेगा। परंतु, स्वतंत्र भारत की नौकरशाही का कड़वा यथार्थ 'प्रकरण संख्या ०८०७८४' के रूप में देश के सामने नंगा हो गया।

वर्ष २०२४ से २०२६ का यह दो-वर्षीय कालखंड इस बात का अमिट गवाह है कि कैसे एक वयोवृद्ध सत्याग्रही को, जिसने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य, अध्यात्म और मातृभाषा की सेवा में न्योछावर कर दिया, कागजी चक्करो, भ्रामक पत्रों और संवेदनहीन लालफीताशाही के तमस में उलझाया गया।

१५ अप्रैल २०२५ को प्रेषित ५२ पृष्ठों का अकाट्य साक्ष्य (रजिस्ट्री: **EH331532223IN**), मुख्य सचिव (CS) कार्यालय का ६ अगस्त २०२४ का 'Actionable' नोट, और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के १५ जनवरी २०२६ और अनेक कड़े निर्देशों के बावजूद निचले स्तर का प्रशासनिक ढांचा अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। स्मरण पत्रों (२२ व २७ जनवरी) को कचरे के डिब्बे में फेंक देना और पोर्टल पर एटीआर (ATR) अपलोड न करके फाइल को 'Defaulter' श्रेणी में सड़ने देना यह सिद्ध करता है कि तंत्र के अंदर मानवीय संवेदना और नैतिक उत्तरदायित्व का सर्वथा आकाल पड़ चुका है।

३. महा-विरोधाभास: वैश्विक क्षितिज का गौरव बनाम स्वदेशी संकीर्णता

यह ग्रन्थ स्वतंत्र भारत के सबसे भयानक और शर्मनाक विरोधाभास को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करता है:

एक ओर जहाँ सत्याग्रही का ज्ञान और चिंतन स्वदेश की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा था—जहाँ दार्शनिक कृति **"Zero: The Cosmic Truth (शांति ही धर्म)"** के लिए 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (UID: **WIX95920**) प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मस्तक ऊँचा किया गया; जहाँ **bhajansamratchandra.com** के माध्यम से ३२ से अधिक महा-ग्रंथ संपूर्ण मानवता के लिए पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराए गए; और जहाँ २०५० समर्पण भक्ति गीतों की अमर वाणी से आधुनिक युग में भक्तिकाल की आध्यात्मिक चेतना पुनर्जीवित हुई—

वहीं दूसरी ओर, उसी सत्याग्रही को स्वदेश के स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने ही जायज़ हक और सम्मान के सत्यापन के लिए दर-दर भटकाया जा रहा था। दुनिया जिस प्रतिभा का लोहा मानती है, स्वदेशी नौकरशाही उसे केवल एक 'फाइल नंबर' मानकर अपने संकीर्ण दफ़्तरों में दबाकर बैठी रही।

४. इस ग्रन्थ का ध्येय: याचना नहीं, इतिहास की अदालत में हुंकार

यह ग्रन्थ किसी पेंशन या सरकारी कृपा की भीख माँगने के लिए नहीं रचा गया है। जब सम्मान या भौतिक लाभ की अभिलाषा पूरी तरह समाप्त हो जाती है और केवल सत्य को स्थापित करना ही अंतिम ध्येय बन जाता है, तब रचा गया साहित्य कालजयी साक्ष्य बन जाता है।

यह पुस्तक—'हिन्दी आन्दोलन **1957(080784)**'—लोक-प्रशासन के सड़ चुके ढाँचे पर एक करारा वैचारिक प्रहार है। यह ग्रन्थ यह उद्घोष करता है कि:

- सत्याग्रही का स्वाभिमान अजेय है— उसे किसी संवेदनहीन अधिकारी के दस्तखत या सरकारी मुहर की आवश्यकता नहीं है।
- सत्ता की नश्वरता और ज्ञान की अमरता— जो अधिकारी आज फाइलों पर बैठकर दंभ भर रहे हैं, वे कल इतिहास की धूल में खो जाएँगे; परंतु यह ग्रन्थ, यह साहित्य और यह सत्याग्रह युगों-युगों तक भावी पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहेगा।

५. पाठकों, शोधकर्ताओं और भावी पीढ़ियों से आह्वान

इस ग्रन्थ के पन्नों को पलटते हुए पाठक केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं देखेंगे, बल्कि वे देखेंगे कि कैसे एक अकेला सत्याग्रही अपने ज्ञान, अपनी लेखनी, अपने अध्यात्म और साक्ष्यों के महा-समुद्र के बल पर सत्ता के विशालकाय और संवेदनहीन तंत्र को इतिहास के कटघरे में अभियुक्त बनाकर खड़ा कर देता है।

यह प्राकथन इस महा-ग्रन्थ के पन्नों में प्रवेश करने से पूर्व विश्व-मानवता और भावी पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि— "सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। राजसत्ताएँ झुक सकती हैं, नौकरशाही मिट सकती है, परंतु सत्य और मातृभाषा का स्वाभिमान सदैव अमर रहता है!"

डा.चन्द्र प्रभाकर कोकड़ा

(मातृभाषा एवं अध्यात्म का अनवरत साधक)



डा. चन्द्र प्रभाकर कोकड़ा

25 जुलाई 1942 को जन्मे भिवानी (हरियाणा) के लेखक, शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संस्था **World Book of Records (London)** द्वारा सम्मानित इनका साहित्य प्री Bhajansamratchandra.Com पर उपलब्ध है ज्ञान की ज्योति के लिये जिन्हें विश्व भर के जिज्ञासुओं द्वारा गूगल के माध्यम से सराहा जाता है। मातृभाषा हिंदी के संरक्षण और उत्थान हेतु सन 1957 के ऐतिहासिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और कारागार में रहते हुए भी हिंदी साहित्य के सर्जन की उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। विश्वास है कि समतामूलक संदेश को प्रसारित करती पुस्तकें पाठकों को जीवन में वैचारिक स्पष्टता और आत्मदीप्ति का प्रकाश अवश्य फैलाएंगी।

डा. चन्द्र प्रभाकर कोकड़ा

बिचला बाजार, भिवानी -127021 (हरियाणा)

मोबाइल -9992075303

सम्पूर्ण डिजिटल लायब्रेरी के लिए [Bhajansamratchandra. Com](http://Bhajansamratchandra.Com)



भूमिका (*Foreword*): सत्य, निष्ठा और संघर्ष की गाथा

यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक इतिहास का एक जीवित दस्तावेज़ है। यह गाथा है उस वयोवृद्ध सत्याग्रही की, जिसने 1957 के ऐतिहासिक हिंदी आंदोलन में अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया था।

वर्ष 1957 का हिंदी आंदोलन केवल एक भाषा की लड़ाई नहीं था, वह भारत की भाषाई पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों का शंखनाद था। उस समय के सत्याग्रहियों ने कष्ट सहें, जेल यात्राएं कीं और एक निस्वार्थ भावना से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया।

परंतु, विडंबना देखिए कि जिस देश में त्याग और बलिदान को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था, उसी देश के प्रशासनिक तंत्र में एक सत्याग्रही को अपने वाजिब अधिकार और 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' की स्वीकृति के लिए 2 वर्षों से भी अधिक समय तक फाइलों के चक्रव्यूह में भटकना पड़ रहा है।

यह पुस्तक किसी व्यक्तिगत शिकायत का पुलिंदा नहीं है। यह भारत के उस प्रशासनिक तंत्र पर एक कड़ा प्रहार है, जहाँ मुख्य सचिव कार्यालय के स्पष्ट निर्देश, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के कड़े आदेश और 52 पन्नों के अकाट्य प्रमाण भी निचले स्तर के अधिकारियों की अकर्मण्यता और हठधर्मिता के आगे बौने साबित होते हैं। शिकायत संख्या **080784** केवल एक नंबर नहीं, बल्कि उस हर नागरिक के संघर्ष की प्रतीक है जो कागजी घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच पिस रहा है।

अध्याय 1

सम्मान का अधिकार

‘हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना’ का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा 1957 के हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को सम्मानित करने के लिए ‘हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना’ की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य उन आंदोलनकारियों को आर्थिक सहायता व सामाजिक सम्मान प्रदान करना था जिन्होंने अपनी मातृभाषा के सम्मान के लिए संघर्ष किया।

आवेदन और अधिकारों का हनन

1957 के हिंदी सत्याग्रही के रूप में विधिवत आवेदन जमा करने के साथ ही उम्मीद थी कि सरकार और प्रशासन वयोवृद्ध सत्याग्रहियों का सम्मान करने में तत्परता दिखाएगा। परंतु, आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही लालफीताशाही (Red Tapis) का शिकार हो गई।

शिकायत संख्या 080784 के दर्ज होने के बाद से ही फाइलों का एक मेज से दूसरी मेज पर स्थानांतरित होने का सिलसिला शुरू हुआ। 18 महीने बीते, फिर 2 वर्ष से अधिक का समय बीत गया, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा।

प्रशासनिक तंत्र की पहली टालमटोल

प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरुआती दौर से ही प्रक्रियात्मक जटिलताओं का बहाना बनाकर मामले को लटकाना शुरू किया। कभी सत्यापन (Verification) के नाम पर तो कभी रिपोर्ट मंगवाने के नाम पर समय सीमा को आगे बढ़ाया जाता रहा।

इस दौरान, सत्याग्रही द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद, भिवानी जिला प्रशासन से लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) तक ने इस मामले में केवल पत्राचार का दौर जारी रखा, लेकिन कोई ठोस अंतिम आदेश (ATR) जारी नहीं किया।

—अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बनाम स्वदेश में उपेक्षा

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरव: 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' से सम्मान

एक ओर जहाँ सत्याग्रही के गहन चिंतन और उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य—“**Zero: The Cosmic Truth** (शांति ही धर्म)”—को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (**Certificate of Excellence, UID: WIX95920**) प्रदान कर सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर सत्याग्रही के अपने ही देश व राज्य में प्रशासनिक तंत्र द्वारा उन्हें दर-दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है।

विश्व पटल पर भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक धारा का परचम लहराने वाले विद्वान को जब अपने ही देश में 1957 के मातृभाषा आंदोलन के जायज़ अधिकार ('हिंदी सत्याग्रही सम्मान') के लिए गुमराह किया जाता है, तो यह संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के खोखलेपन और असंवेदनशीलता को उजागर करता है।

15 अप्रैल 2025 का ऐतिहासिक साक्ष्य: 52 पन्नों का अकाट्य रिकॉर्ड

प्रशासनिक टालमटोल और बहानेबाजी का अंत करने के लिए सत्याग्रही ने 15 अप्रैल 2025 को स्पीड पोस्ट (रजिस्ट्री संख्या: **EH331532223IN**) के माध्यम से 52 पृष्ठों का एक विस्तृत, तथ्यपरक और अकाट्य प्रमाण पत्र-व्यवहार के साथ प्रेषित किया। इन 52 पन्नों ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया कि आवेदक का दावा शत-प्रतिशत प्रामाणिक और वैधानिक है। इसके बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जांच या टालमटोल का कोई तार्किक व कानूनी आधार नहीं बचता था।

स्वदेश में उपेक्षा और गुमराह करने का प्रशासनिक जाल

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिभा सम्मानित होती है, उसी सत्याग्रही को स्थानीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा भ्रामक पत्राचार के चक्रव्यूह में उलझाया गया:

- भ्रामक सूचनाएं: बार-बार एक ही दस्तावेज की मांग करना या फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग (जैसे भिवानी जिला प्रशासन, डीआईपीआर और चंडीगढ़ मुख्यालय) में घुमाते रहना।
- समय की बर्बादी: 18 महीनों से लेकर 2 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अंतिम निर्णय की घोषणा न करना।
- सत्याग्रही का अपमान: एक वयोवृद्ध आंदोलनकारी के त्याग और सम्मान योजना के हक को लालफीताशाही की फाइलों में दबाकर रखना, जो सीधे तौर पर एक सत्याग्रही के स्वाभिमान पर चोट है।

उच्च संवैधानिक संस्थानों तक आवाज़

जब स्थानीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने 52 पन्नों के साक्ष्य को दरकिनार किया, तो सत्याग्रही ने अपने इस संवैधानिक और नैतिक संघर्ष को देश की सर्वोच्च संस्थाओं तक पहुँचाया:

- राष्ट्रीय नेतृत्व एवं मानवाधिकार आयोग: देश के शीर्ष नेताओं, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग (NHRC/SHRC), लोकपाल आयुक्त और आईटीआर/आरटीआई के माध्यम से इस प्रशासनिक उपेक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
- सत्य और न्याय की निरंतर पुकार: सैकड़ों पत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत पेंशन या योजना के लाभ की नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र, मातृभाषा के सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही की है।

अंतर्राष्ट्रीय गौरव व आध्यात्मिक साधना

अंतर्राष्ट्रीय गौरव और निःशुल्क साहित्यिक/आध्यात्म साधना

एक ओर जहाँ सत्याग्रही की संपूर्ण जीवन साधना जन-कल्याण और साहित्य को समर्पित रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा उनके प्रति घोर अन्याय का प्रतीक है:

- भजन सम्राट और 32+ पुस्तकें (**bhajansamratchandra.com**): सत्याग्रही ने समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपनी 32 से अधिक कालजयी पुस्तकों को **bhajansamratchandra.com** वेबसाइट पर पूरी दुनिया के लिए निःशुल्क (**Free Download**) उपलब्ध कराया है। बिना किसी व्यावसायिक लाभ के ज्ञान और भक्ति का यह प्रसार उनके निष्काम समर्पण का जीवंत प्रमाण है।
- 2050 समर्पण भक्ति गीत—भक्तिकाल की पुनरावृत्ति: सत्याग्रही द्वारा रचित 2050 समर्पण भक्ति गीत की गूँज केवल हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में सुनाई दे रही है। यह रचना आधुनिक युग में

भारत के प्राचीन 'भक्तिकाल' (सूर-तुलसी-मीरा के युग) की याद दिलाती है, जिसने जन-जन के हृदय में अध्यात्म और भक्ति की ज्योति जलाई है।

- **'Zero: The Cosmic Truth** (शांति ही धर्म)' और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान: उनकी उत्कृष्ट कृति 'शांति ही धर्म' का जब अंग्रेजी अनुवाद **"Zero: The Cosmic Truth"** के रूप में विश्व पटल पर आया, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस कालजयी कार्य के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (**Certificate of Excellence, UID: WIX95920**) प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

स्वदेश में उपेक्षा और गुमराह करने का प्रशासनिक जाल

जिस मनीषी और सत्याग्रही को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा रहा हो और जिनकी साहित्यिक व आध्यात्मिक साधना से देश का मस्तक ऊँचा हो रहा हो, उनके साथ स्वदेश के प्रशासनिक तंत्र का रवैया अत्यंत निराशाजनक और अपमानजनक रहा है:

- फाइलों का भ्रामक चक्रव्यूह: अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त सत्याग्रही को 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' (प्रकरण: 080784) के तहत उनके न्यायसंगत अधिकार से वंचित रखने के लिए स्थानीय और राज्यस्तरीय अधिकारियों ने भ्रामक पत्रों व टालमटोल की नीति का सहारा लिया।
- अधिकारियों द्वारा गुमराह करना: कभी सत्यापन (Verification) के नाम पर तो कभी रिपोर्ट मंगवाने के बहाने फाइलों को चंडीगढ़, भिवानी और डीआईपीआर के बीच घुमाया जाता रहा, जिससे 2 वर्षों से भी अधिक का समय व्यर्थ हो गया।

15 अप्रैल 2025 का ऐतिहासिक साक्ष्य:

प्रशासनिक बहानों को ध्वस्त करने के लिए सत्याग्रही ने **15 अप्रैल 2025** को स्पीड पोस्ट (रजिस्ट्री संख्या: **EH331532223IN**) के माध्यम से 52 पृष्ठों का एक ऐसा साक्ष्य प्रेषित किया, जिसने पात्रता के हर पहलू को कानूनी और ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कर दिया।

डीआईपीआरओ (**DIPRO**) भिवानी एवं अन्य पत्राचार: समय-समय पर शासन को भेजे गए उत्तर और प्रशासनिक पत्राचार की आधिकारिक प्रतियां।

सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं तक गुहार

जब स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक हठधर्मिता नहीं टूटी, तो इस पूरे प्रकरण को देश के सर्वोच्च संस्थानों के समक्ष रखा गया:

- मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और राष्ट्रीय नेतृत्व: सत्याग्रही ने भारत के शीर्ष नेतृत्व, मानवाधिकार आयोग (NHRC/SHRC), लोकपाल आयुक्त और आरटीआई/आईटीआर के माध्यम से स्पष्ट किया कि 1957 के सत्याग्रही का यह मानसिक उत्पीड़न सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन है।
- सैकड़ों पत्रों के माध्यम से शासन को सचेत किया गया कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत लाभ की नहीं, बल्कि सत्याग्रही के स्वाभिमान और प्रशासनिक जवाबदेही की है।

मुख्य सचिव (CS) कार्यालय का 'Actionable' नोट (6 अगस्त 2024)

प्रकरण संख्या **080784** की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक पद, यानी मुख्य सचिव (**Chief Secretary**) कार्यालय ने **6 अगस्त 2024** को संज्ञान लिया।

- आदेश का स्वरूप: मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस मामले को सीधे '**Actionable**' (कार्रवाई योग्य) मोड में डाला गया और संबंधित विभाग तथा जिला प्रशासन को त्वरित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
- प्रशासनिक शिथिलता: सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का स्पष्ट रुख होने के बावजूद, निचले स्तर के अधिकारियों ने इस '**Actionable**' नोट को भी फाइलों की धूल में दबा दिया। किसी भी विभाग ने इस पर त्वरित कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने की जहमत नहीं उठाई।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के निर्देश (15 जनवरी 2026)

जब मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशों के बाद भी विभागीय स्तर पर फाइलें दबाई रखी गईं, तब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने **15 जनवरी 2026** को एवं अन्य कई बार इस मामले में हस्तक्षेप किया।

- स्पष्ट हिदायत: सीएमओ द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) तथा भिवानी जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए कि सत्याग्रही की पात्रता और सभी जमा साक्ष्यों का अविलंब सत्यापन कर अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाए।
- उच्चतम प्राथमिकता: मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट संकेत दिया गया था कि 1957 के हिंदी आंदोलन के सत्याग्रही के सम्मान में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाएगा।

दो वर्षों का लंबा इंतज़ार और सत्याग्रही का मानसिक उत्पीड़न

18 महीने से बढ़कर 2 वर्षों से अधिक का समय बीत जाना केवल एक समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक वयोवृद्ध सत्याग्रही के साथ किया जा रहा घोर मानसिक उत्पीड़न है:

- फाइलों की टालमटोल: 6 अगस्त 2024 से लेकर 15 जनवरी 2026 और फिर मार्च 2026 तक, अधिकारी केवल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे।
- जवाबदेही का अभाव: जब शासन के सबसे बड़े दफ्तरों (CS Office & CMO) के आदेशों की निचले अधिकारी धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो यह व्यवस्था की अक्षमता को दर्शाती है।

पत्राचार का चक्रव्यूह—

फाइलों का भंवर और अनसुने स्मरण पत्र

15 जनवरी 2026 के निर्देशों के बाद 22 जनवरी, 27 जनवरी और उसके बाद भी लगातार कई स्मरण पत्र सी.एम. कार्यालय से (Reminders) प्रेषित किए गए। परंतु administrative system का ढर्रा ऐसा बन चुका है कि कड़े से कड़े पत्रों पर भी अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पत्रों का जवाब न देना और फाइलों को टेबल-दर-टेबल घुमाते रहना ही इस तंत्र की कार्यशैली बन चुका है।

मानवाधिकार आयोग और लोकपाल का द्वार

जब स्थानीय और राज्य स्तरीय प्रशासनिक तंत्र से न्याय की आस धूमिल होने लगी, तब इस अन्याय के खिलाफ देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं का रुख किया गया:

- मानवाधिकार आयोग (NHRC/SHRC): एक वयोवृद्ध सत्याग्रही को उनके वाजिब सम्मान से वंचित रखकर वर्षों तक भटकाना सीधे तौर पर मानसिक उत्पीड़न और मानवाधिकारों का हनन है।
- लोकपाल एवं आयुक्त: प्रशासनिक अकर्मण्यता, मुख्य सचिव व सीएमओ के आदेशों की अनदेखी और हठधर्मिता की निष्पक्ष जांच हेतु शिकायतें दर्ज कराई गईं।

आईटीआर/आरटीआई और प्रेस नोट के जरिए सच का पर्दाफाश

- सूचना का अधिकार (RTI/ITR): आरटीआई के माध्यम से जब फाइलों का सच माँगा गया, तो अधिकारियों की टालमटोल और एटीआर (ATR) न अपलोड करने की कारस्तानी उजागर हुई।
- प्रेस नोट और मीडिया: समय-समय पर जारी किए गए प्रेस नोट के माध्यम से जनता और मीडिया के सामने इस बात को रखा गया कि किस तरह 1957 के मातृभाषा आंदोलन के सत्याग्रही के साथ कागजी न्याय का खेल खेला जा रहा है।

व्यवस्था के नाम खुला पत्र और इतिहास की अदालत

फाइलों के पार एक सत्याग्रही की पुकार

यह पुस्तक केवल शिकायत संख्या **080784** की निष्पत्ति के लिए लिखा गया दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की उस प्रशासनिक व्यवस्था का दर्पण है जो कागजीवादों और दावों के बीच अपनी संवेदनशीलता खो चुकी है।

1957 के हिंदी आंदोलन में जिस सत्याग्रही ने अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के लिए निस्वार्थ भाव से लाठियाँ खाईं और जेल की यातनाएं सहੀं, उसे अपने जीवन के संध्याकाल में एक साधारण सम्मान योजना के सत्यापन के लिए 2 वर्षों से भी अधिक समय तक पत्रों, रिमाइंडरों और आरटीआई के चक्कर लगाने पड़े। यह विडंबना किसी एक सत्याग्रही की नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की है जहाँ जन-सेवा का संकल्प लालफीताशाही के तमस में खो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बनाम स्वदेशी नौकरशाही का विरोधाभास

इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि जिस मनीषी के विचारों और कृतियों—'**Zero: The Cosmic Truth** (शांति ही धर्म)' को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिसकी 32 से अधिक पुस्तकें **bhajansamratchandra.com** पर पूरे विश्व के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं, और जिसके 2050 समर्पण भक्ति गीत आधुनिक युग में 'भक्तिकाल' की अमर चेतना को पुनर्जीवित कर रहे हैं—उसी मनीषी को अपने ही राज्य के अधिकारियों द्वारा एक अदद एटीआर (ATR) और सत्यापन के लिए गुमराह किया गया।

यह विरोधाभास हमेशा याद दिलाया जाएगा कि कैसे दुनिया जिस प्रतिभा का लोहा मानती है, स्वदेश का प्रशासनिक तंत्र उसे फाइलों के चक्रव्यूह में उलझाकर रखता है।

व्यवस्था के नाम खुला पत्र

"माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय,"

यह पुस्तक आपके ही प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों की कार्यशैली का आधिकारिक रिकॉर्ड है। जब मुख्य सचिव कार्यालय का 'Actionable' नोट, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सीधे निर्देश और अनगिनत स्मरण पत्र भी

अधिकारियों की संवेदनहीनता को नहीं तोड़ पाते, तो यह सिद्ध होता है कि समस्या साक्ष्यों की कमी में नहीं, बल्कि नीयत और संवेदनशीलता के अभाव में है।

52 पन्नों के अकाट्य प्रमाण दिए जा चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान-सम्मान सामने है, सह-सत्याग्रही का हलफनामा दर्ज है—अब भी यदि न्याय में विलंब होता है, तो यह केवल न्याय का इनकार नहीं, बल्कि 1957 के मातृभाषा आंदोलन के हर उस सत्याग्रही का अनादर है जिसने इस देश के भाषाई और सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया साक्ष्य

भावी पीढ़ी और शोधकर्ताओं के लिए एक सबक

यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों, शोधकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक 'केस स्टडी' का काम करेगी। यह उन्हें सिखाएगी कि:

1. अहिंसक और संवैधानिक संघर्ष की शक्ति: अधिकारी चाहे जितना गुमराह करें, सत्य और दस्तावेजों का सहारा लेकर लड़ा गया संवैधानिक संघर्ष कभी निष्फल नहीं होता।
2. प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता: लोकतंत्र में जन-सेवकों को यह याद रखना होगा कि पद और फाइलें केवल औपचारिकता नहीं हैं, उनके पीछे एक जीवित इंसान की वेदना और स्वाभिमान जुड़ा होता है।

सत्याग्रही का यह संघर्ष केवल एक पेंशन या योजना के लाभ की प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह 'सत्य', 'निष्ठा' और 'मातृभाषा के स्वाभिमान' की वह मशाल है जो प्रशासनिक उपेक्षा की हर आंधी के सामने अडिग खड़ी है।

"हिन्दी आन्दोलन 1957" केवल एक शीर्षक नहीं है—यह इस देश की मिट्टी, इसकी भाषा और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उस अटूट निष्ठा का उद्घोष है, जिसे कोई संवेदनहीन प्रशासनिक तंत्र कभी डिगा नहीं सकता!

निष्काम साहित्यिक व अध्यात्म साधना

एक ओर जहाँ सत्याग्रही की संपूर्ण जीवन साधना जन-कल्याण, भाषा और साहित्य को समर्पित रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा उनके प्रति घोर अन्याय और संवेदनहीनता का प्रतीक है:

- भजन सम्राट और 32+ पुस्तकें (bhajansamratchandra.com): सत्याग्रही ने समाज के नैतिक, भाषाई और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपनी 32 से अधिक कालजयी पुस्तकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bhajansamratchandra.com पर पूरी दुनिया के लिए निःशुल्क (**Free Download**) उपलब्ध कराया है। बिना किसी व्यावसायिक लाभ के ज्ञान और भक्ति का यह प्रसार उनके निष्काम समर्पण और उच्च कोटि की साधना का जीवंत प्रमाण है।
- 2050 समर्पण भक्ति गीत—आधुनिक युग में भक्तिकाल की पुनरावृत्ति: सत्याग्रही द्वारा रचित 2050 समर्पण भक्ति गीत की गूँज केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में सुनाई दे रही है। यह अलौकिक रचना आधुनिक युग में भारत के प्राचीन 'भक्तिकाल' (सूर-तुलसी-मीरा और कबीर के युग) की अमर चेतना को पुनर्जीवित करती है, जिसने जन-जन के हृदय में अध्यात्म, मातृभाषा और भक्ति की ज्योति जलाई है।

- **'Zero: The Cosmic Truth (शांति ही धर्म)'** और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान: उनकी उत्कृष्ट और गहन दार्शनिक कृति 'शांति ही धर्म' का जब अंग्रेजी अनुवाद **"Zero: The Cosmic Truth"** के रूप में विश्व पटल पर आया, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार ख्याति मिली। इस कालजयी कार्य के लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (**Certificate of Excellence, UID: WIX95920**) प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

स्वदेश में उपेक्षा और गुमराह करने का प्रशासनिक जाल

जिस मनीषी और सत्याग्रही को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा रहा हो और जिनकी साहित्यिक व आध्यात्मिक साधना से देश का मस्तक ऊँचा हो रहा हो, उनके साथ स्वदेश के प्रशासनिक तंत्र का रवैया अत्यंत निराशाजनक, अपमानजनक और अमानवीय रहा है:

- फाइलों का भ्रामक चक्रव्यूह: अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त सत्याग्रही को 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' (प्रकरण: **080784**) के तहत उनके न्यायसंगत अधिकार से वंचित रखने के लिए स्थानीय और राज्यस्तरीय अधिकारियों ने भ्रामक पत्रों व टालमटोल की नीति का सहारा लिया।
- अधिकारियों द्वारा गुमराह करना: कभी सत्यापन (**Verification**) के नाम पर तो कभी रिपोर्ट मंगवाने के बहाने फाइलों को चंडीगढ़, भिवानी और डीआईपीआर (**DIPR**) के बीच घुमाया जाता रहा, जिससे 2 वर्षों से भी अधिक का अमूल्य समय व्यर्थ हो गया।

15 अप्रैल 2025 का ऐतिहासिक साक्ष्य

प्रशासनिक बहानों और लालफीताशाही को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए सत्याग्रही ने **15 अप्रैल 2025** को स्पीड पोस्ट (रजिस्ट्री संख्या: **EH331532223IN**) के माध्यम से **52** पृष्ठों का साक्ष्य प्रेषित किया, जिसने पात्रता के पहलू को ऐतिहासिक और प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दिया:

सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं तक गुहार

जब स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक हठधर्मिता नहीं टूटी, तो सत्याग्रही ने इस पूरे प्रकरण को देश की सर्वोच्च संस्थाओं के समक्ष रखा:

- मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और राष्ट्रीय नेतृत्व: सत्याग्रही ने भारत के शीर्ष नेतृत्व, मानवाधिकार आयोग (**NHRC/SHRC**), लोकपाल आयुक्त और आरटीआई/आईटीआर के माध्यम से स्पष्ट किया कि **1957** के सत्याग्रही का यह मानसिक उत्पीड़न सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन है।
- सैकड़ों पत्रों के माध्यम से शासन को सचेत किया गया कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत लाभ की नहीं, बल्कि सत्याग्रही के स्वाभिमान, मातृभाषा के सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही की है।

यह पुस्तक स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का एक जीवित दस्तावेज़ है। यह गाथा है उस वयोवृद्ध सत्याग्रही की, जिसने **1957** के ऐतिहासिक हिंदी आंदोलन में अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। परंतु, विडंबना देखिए कि जिस देश में इस त्याग का सम्मान होना चाहिए था, वहीं सत्याग्रही को अपने हक ('हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना') के लिए दो वर्षों से अधिक समय तक फाइलों के चक्रव्यूह में भटकना पड़ रहा है। शिकायत संख्या **080784** केवल एक नंबर नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता पर एक कड़ा प्रहार है।

हरियाणा सरकार द्वारा **1957** के हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को सम्मानित करने के लिए योजना बनाई गई थी। परंतु, आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही लालफीताशाही का शिकार हो गई। **18** महीने से लेकर **2** वर्षों से अधिक का समय बीत गया, परंतु अधिकारियों ने केवल एक मेज से दूसरी मेज पर फाइलें घुमाने का काम किया। भिवानी जिला प्रशासन से लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (**DIPR**) तक ने इस मामले में केवल पत्राचार का दौर जारी रखा, लेकिन कोई ठोस अंतिम आदेश नहीं।

- निष्काम साधना (**bhajansamratchandra.com**): सत्याग्रही ने जन-कल्याण हेतु अपनी **32** से अधिक पुस्तकें अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। उनके रचित **2050** समर्पण भक्ति गीत संपूर्ण विश्व में भक्तिकाल की अमर चेतना को पुनर्जीवित कर रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मान: उनकी दार्शनिक पुस्तक 'शांति ही धर्म' के अंग्रेजी अनुवाद "**Zero: The Cosmic Truth**" के लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (**UID: WIX95920**) से अलंकृत किया गया।
- **52** पन्नों के साक्ष्य (**15** अप्रैल **2025**): स्पीड पोस्ट संख्या **EH331532223IN** के माध्यम से डीआईपीआरओ जमा कराए गए। इसके बावजूद स्वदेशी अधिकारियों ने सत्यापन के नाम पर गुमराह करना जारी रखा।

आदेशों की अवमानना—मुख्य सचिव का नोट, अनसुने रिमाइंडर और 'डिफॉल्टर' स्थिति

- मुख्य सचिव नोट (**6** अगस्त **2024**): **CS** ऑफिस द्वारा मामले को '**Actionable**' मोड में डाले जाने के बावजूद निचले तंत्र ने कोई कार्रवाई नहीं की।
- सीएमओ निर्देश व रिमाइंडर (जनवरी **2026**): **15** जनवरी **2026** के सीएमओ निर्देशों के बाद **22** जनवरी और **27** जनवरी को लगातार रिमाइंडर और भीभेजे गए, पर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

पत्राचार का चक्रव्यूह—मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और आरटीआई

जब प्रशासनिक ढर्रे से न्याय की आस धूमिल होने लगी, तो मानवाधिकार आयोग (**NHRC/SHRC**), लोकपाल आयुक्त और आरटीआई/आईटीआर के माध्यम से इस मानसिक

उत्पीड़न और अवहेलना को रिकॉर्ड पर लाया गया। सैकड़ों पत्रों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया गया कि यह लड़ाई व्यक्तिगत लाभ की नहीं, बल्कि सत्याग्रही के स्वाभिमान की है।

—व्यवस्था के नाम खुला पत्र

यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों और शोधकर्ताओं के लिए एक 'केस स्टडी' है कि कैसे एक सत्याग्रही ने अहिंसक और संवैधानिक तरीके से शासन की संवेदनहीनता का मुकाबला किया। "हिन्दी आन्दोलन 1957" केवल एक शीर्षक नहीं—यह इस देश की मिट्टी, इसकी भाषा और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उस अटूट निष्ठा का उद्घोष है, जिसे कोई संवेदनहीन प्रशासनिक तंत्र कभी डिगा नहीं सकता।

अध्याय 2

हिन्दी आन्दोलन 1957: 080784

1957 के हिन्दी सत्याग्रही का 2024–2026 का प्रशासनिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और फाइलों में सिमटा न्याय

समर्पण (Dedication)

यह पुस्तक उन समस्त ज्ञात-अज्ञात हिन्दी सत्याग्रहियों को समर्पित है, जिन्होंने 1957 के आंदोलन में अपनी मातृभाषा, संस्कृति और भाषाई स्वाभिमान की रक्षा के लिए लाठियाँ खाईं, जेल की यातनाएँ सही और निस्वार्थ भाव से देश की चेतना को जागृत किया।

साथ ही, यह ग्रन्थ उन निष्ठावान नागरिकों को समर्पित है जो आज भी जर्जर और संवेदनहीन प्रशासनिक तंत्र के सामने घुटने टेकने के बजाय सत्य, अहिंसा और संवैधानिक साक्ष्यों के बल पर अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं।

सत्य का दस्तावेज़ और व्यवस्था पर प्रहार

यह कोई साधारण संस्मरण या केवल प्रशासनिक शिकायतों का संग्रह नहीं है। यह स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक जवाबदेही पर लिखा गया एक जीवित और अकाट्य दस्तावेज़ है।

वर्ष 1957 का हिन्दी आंदोलन भारत के भाषाई इतिहास का वह अध्याय था जिसने मातृभाषा के सम्मान को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ा था। उस समय युवा सत्याग्रहियों ने किसी पेंशन, पदक या योजना की लालसा में संघर्ष नहीं किया था। परंतु, जब स्वतंत्र भारत में राज्य सरकारों ने 'हिन्दी सत्याग्रही सम्मान योजना' जैसी योजनाओं के माध्यम से उन वयोवृद्ध आंदोलनकारियों के

योगदान को रेखांकित करने की पहल की, तो यह उम्मीद जगी थी कि शासन अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएगा।

विडंबना देखिए कि प्रकरण संख्या **080784** के दर्ज होने के बाद पिछले दो वर्षों (**2024 से 2026**) का समय केवल कागजी टालमटोल, एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती फाइलों और अधिकारियों की घोर उपेक्षा का गवाह बना।

एक ओर जहाँ सत्याग्रही के दार्शनिक चिंतन और अध्यात्म साधना को विश्व पटल पर सराहा गया, वहीं दूसरी ओर स्वदेश के स्थानीय अधिकारियों ने **52** पन्नों के अकाट्य प्रमाण, स्पीड पोस्ट रसीदों (**EH331532223IN**) और सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालयों (मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालय) के स्पष्ट आदेशों को भी ठंडे बस्ते में डाले रखा।

यह पुस्तक इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे निचले स्तर का नौकरशाही तंत्र राज्य के सर्वोच्च पदों के आदेशों की भी अवमानना करने का दुस्साहस करता है।

1957 का हिंदी आंदोलन पंजाब और हरियाणा के संयुक्त क्षेत्र में अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लड़ा गया एक अभूतपूर्व सत्याग्रह था। अहिंसक प्रतिरोध की इस धारा में हजारों नागरिकों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दीं। सत्याग्रह का मूल मंत्र था—अपनी मातृभाषा का सम्मान और भाषाई अधिकार।

योजना का ढांचा और आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा सरकार द्वारा 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' का उद्देश्य उन वयोवृद्ध सत्याग्रहियों की पहचान कर उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित करना था। शिकायत संख्या **080784** के अंतर्गत जब आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो अपेक्षा यह थी कि एक वृद्ध सत्याग्रही के सम्मान में प्रशासनिक तंत्र त्वरित और सम्मानजनक रवैया अपनाएगा।

लालफीताशाही (**Red Tapism**) का पहला चक्र

आवेदन जमा होते ही प्रक्रियात्मक जटिलताओं का दौर शुरू हो गया। सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग (**DIPR**) तथा जिला प्रशासन भिवानी के बीच पत्राचार की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसका कोई अंत नहीं था। सत्यापन (**Verification**) के नाम पर फाइल को महीनों तक दबाकर रखा गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह केवल एक फाइल थी, किसी सत्याग्रही का सम्मान नहीं।

निष्काम साहित्य साधना और **bhajansamratchandra.com** का विश्व-अभियान

इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि जहाँ एक ओर प्रशासनिक तंत्र कागज़ों और फाइलों के छोटे-छोटे गोलचक्करों में उलझा रहा, वहीं दूसरी ओर सत्याग्रही की लेखनी और चेतना विश्व स्तर पर ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश बिखेर रही थी।

- **32** से अधिक कालजयी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण: ज्ञान, दर्शन, मातृभाषा और भक्ति को कभी व्यापार नहीं बनाया जा सकता। इसी निष्काम भाव से सत्याग्रही ने अपनी **32** से अधिक वृहद पुस्तकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट **bhajansamratchandra.com** पर संपूर्ण मानव जाति के लिए पूर्णतः निःशुल्क (**Free Download**) उपलब्ध करा रखा है। किसी भी व्यावसायिक लाभ, रॉयल्टी या आर्थिक स्वार्थ से परे हटकर किया गया ज्ञान का यह अनवरत दान यह सिद्ध करता है कि एक सच्चा सत्याग्रही समाज को केवल देना जानता है, माँगना नहीं।
- **2050** समर्पण भक्ति गीत—आधुनिक युग में भक्तिकाल की पुनरावृत्ति: साहित्यिक दुनिया में **2050** समर्पण भक्ति गीतों की रचना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह भारत के प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास के उस 'भक्तिकाल' की जीवंत पुनरावृत्ति है जहाँ संत कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई की वाणी ने जन-जन के मानस को मथ दिया था। इन **2050** गीतों की गूँज भारत की सीमाओं को लाँघकर पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। यह रचना केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि भारत की भाषाई और सांस्कृतिक आत्मा का वह संगीतमय प्रवाह है जो युगों तक भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।

'Zero: The Cosmic Truth (शांति ही धर्म)' एवं 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' का सम्मान

जब विचार शुद्ध होते हैं, तो वे भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं।

- दार्शनिक शिखर—'शांति ही धर्म': सत्याग्रही द्वारा रचित कालजयी कृति 'शांति ही धर्म' का जब अंग्रेजी अनुवाद "**Zero: The Cosmic Truth**" के रूप में वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया गया, तो विश्व के विचारकों और आध्यात्मिक संस्थाओं ने इसके गहन चिंतन का लोहा माना।
- 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस': इस अगाध चिंतन और उत्कृष्ट रचना धर्मिता के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (**Certificate of Excellence, UID: WIX95920**) प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की महान दार्शनिक परंपरा और उस मातृभाषा का सम्मान था, जिसके लिए **1957** में आंदोलन लड़ा गया था।

स्वदेशी नौकरशाही का विरोधाभास और वैचारिक संकीर्णता

इस पुस्तक का सबसे मर्मस्पर्शी और कड़वा सच यही विरोधाभास है—"अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मान बनाम स्वदेश की फाइलों में उपेक्षा।"

- प्रशासनिक अंधापन: जिस मनीषी के चिंतन को लंदन की वैश्विक संस्थाएँ सम्मानित कर रही हैं, जिस लेखक की पुस्तकें दुनिया भर में पढ़ी जा रही हैं, उसी वयोवृद्ध सत्याग्रही को अपने ही राज्य (हरियाणा) में 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' (प्रकरण संख्या:

080784) के एक साधारण सत्यापन के लिए 2 वर्षों से भी अधिक समय तक दर-दर भटकाया गया।

- गुमराह करने का षड्यंत्र: स्थानीय अधिकारियों ने सत्यापन (**Verification**) और रिपोर्ट मंगवाने के नाम पर भ्रामक पत्रों का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक के आदेशों को कागजों की धूल में दबा दिया गया। यह प्रशासनिक अधिकारियों की उस संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है जहाँ देश की प्रतिभा और सत्याग्रह के इतिहास की कोई कद्र नहीं है।

ऐतिहासिक दस्तावेज का संदेश

यह अध्याय इतिहास की अदालत में यह सवाल खड़ा करता है:

क्या किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी असंवेदनशील हो सकती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्तित्व और **1957** के मातृभाषा आंदोलनकारी के त्याग को महज एक 'फाइल नंबर **080784**' मानकर फाइलों में बंद कर दे?

यह विरोधाभास हमेशा इस बात का गवाह रहेगा कि जहाँ सत्याग्रही का कद अपने ज्ञान और त्याग से हिमालय जैसा ऊँचा होता गया, वहीं नौकरशाही अपनी टालमटोल और लालफीताशाही के कारण गर्त में गिरती गई।

अध्याय 3

साक्ष्यों का महासमुद्र और सत्ता का अंधापन

1. सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं

इतिहास गवाह है कि जब-जब किसी सत्याग्रही ने राष्ट्र की चेतना, उसकी भाषा और उसकी संस्कृति के लिए अपने सर्वस्व का त्याग किया है, तब-तब समय ने स्वयं उसके पक्ष में गवाही दी है। **1957** का हिंदी आंदोलन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, पद या पेंशन की लालसा में नहीं लड़ा गया था। वह भारत की भाषाई आत्मा को उसका संवैधानिक और सामाजिक अधिकार दिलाने का एक पावन अनुष्ठान था।

ऐसे पावन संघर्ष के लिए जब संपूर्ण जीवन, सह-सत्याग्रहियों के ऐतिहासिक प्रमाण, तात्कालिक अभिलेख का निर्विवाद इतिहास शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया हो, तब भी यदि प्रशासनिक तंत्र 'सत्यापन' का नाटक करे, तो यह साक्ष्यों की कमी नहीं, बल्कि सत्ता के अंधेपन का प्रतीक है। सूर्य को प्रमाणित करने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती; ठीक उसी प्रकार, एक जीवंत सत्याग्रही के त्याग को कागजी मोहरों की मोहताजी नहीं होती।

2. नौकरशाही का संवेदनहीन चरित्र

लोकतंत्र में जिस नौकरशाही को जन-सेवा और इतिहास के प्रति सम्मान का वाहक बनना चाहिए था, वह फाइलों, नियमों और प्रक्रियात्मक छल-छद्म का ऐसा जाल बन चुकी है जहाँ मनुष्य का स्वाभिमान घुट-घुटकर दम तोड़ देता है।

एक वयोवृद्ध सत्याग्रही, जिसने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य, अध्यात्म और राष्ट्र-सेवा में व्यतीत कर दिया, उसके द्वार पर आकर सम्मान अर्पित करना तो दूर—राज्य का प्रशासनिक तंत्र उन्हें फाइलों के बंद कमरों में 'आदेश', 'निर्देश' और 'स्मरण पत्रों' की निरर्थक शब्दावली में उलझाता रहा। मुख्य सचिव की मेज से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक, और निचले स्तर के दफ्तरों से लेकर प्रशासनिक कमरों तक, केवल कागज़ सरकते रहे, परंतु चेतना और नीयत का सर्वथा अभाव रहा। यह स्थिति इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तंत्र जब संवेदनहीन हो जाता है, तो वह अपने ही इतिहास और नायकों को भूलने का महापाप कर बैठता है।

3. 'डिफॉल्टर' व्यवस्था: इतिहास की अदालत में अभियुक्त

जब शासन के सर्वोच्च पदों से जारी आदेश भी निचले स्तर की हठधर्मिता के आगे दम तोड़ देते हैं, और जब प्रशासनिक फाइलों पर 'डिफॉल्टर' की मुहर लगती है, तो वास्तव में वह फाइल या वह सत्याग्रही 'डिफॉल्टर' नहीं होता—बल्कि वह पूरी राज्य व्यवस्था, वह संपूर्ण शासन तंत्र और उसके नीति-नियंता इतिहास की अदालत में 'डिफॉल्टर' (अपराधी) बनकर खड़े होते हैं।

यह पुस्तक इस बात को इतिहास के पन्नों में दर्ज करती है कि **2024** से **2026** के इस कालखंड में, जब भारत अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई दे रहा था, तब **1957** के एक सत्याग्रही को अपनी मातृभाषा के अधिकार के लिए कागजी भूलभुलैया में छला जा रहा था। यह किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस हर आंदोलनकारी, हर विचारक और हर देशभक्त का अपमान है जिसने इस देश के स्वाभिमान के लिए अपना रक्त-पसीना बहाया।

अध्याय 4

दर्शन, अध्यात्म और सत्ता का विरोधाभास

1. ज्ञान का अखंड प्रवाह बनाम व्यवस्था की संकीर्णता

साहित्य और अध्यात्म की सत्ता, राजसत्ता से सदैव सर्वोच्च रही है। राजा और प्रशासनिक अधिकारी समय के साथ धूल में मिल जाते हैं, परंतु विचार, ज्ञान और दार्शनिक चिंतन युगों-युगों तक मानव चेतना को आलोकित करते रहते हैं।

जहाँ एक ओर सत्याग्रही का जीवन 'निष्काम कर्मयोग' का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है—जहाँ 32 से अधिक महाग्रंथों को संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बिना किसी आर्थिक लालसा के निःशुल्क उत्सर्जित कर दिया गया, जहाँ 2050 समर्पण भक्ति गीतों की अमर धारा ने आधुनिक युग में तुलसी, सूर और मीरा के भक्तिकाल को पुनः सजीव कर दिया—वहीं दूसरी ओर राज्य का प्रशासनिक तंत्र चवन्नी-अठन्नी की पेंशन और कागजी सत्यापन के तुच्छ पैमानों में अटका रहा। यह विरोधाभास दर्शाता है कि ज्ञान का प्रवाह कितना विराट है और सत्ता की सोच कितनी बौनी!

2. वैश्विक स्वीकृति और स्वदेशी उपेक्षा का महा-व्यंग्य

यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है कि यहाँ के रत्नों को जब तक विदेश की धरती से मान्यता न मिले, तब तक स्वदेशी तंत्र उनकी कद्र नहीं करता। जब **"Zero: The Cosmic Truth (शांति ही धर्म)"** जैसे गूढ़ दार्शनिक विचार को 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' जैसी वैश्विक संस्थाओं द्वारा सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है, तब दुनिया यह देखती है कि भारत का आध्यात्मिक चिंतन कितना गहरा है।

परंतु, उसी समय जब वही मनीषी अपने ही राज्य की फाइलों में 'शिकायत संख्या 080784' के रूप में वर्षों तक उपेक्षित पड़ा रहता है, तो यह संपूर्ण प्रशासनिक ढाँचे की बौद्धिक कंगाली और संवेदनहीनता को नंगा कर देता है। यह इतिहास का वह महा-व्यंग्य है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हमने अपने ही महापुरुषों और सत्याग्रहियों के साथ कैसा व्यवहार किया।

अध्याय 5

मातृभाषा का संग्राम और 1957 की अग्निपरीक्षा

1. 1957 का भाषाई आंदोलन: स्वाभिमान का शंखनाद

1957 का हिंदी आंदोलन मात्र अक्षरों या शब्दों की लड़ाई नहीं था। वह भारत की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक जड़ों और भाषाई स्वाभिमान को औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों से मुक्त कराने का एक महा-यज्ञ था। जब संयुक्त पंजाब और हरियाणा के अंचल में मातृभाषा के दमन का प्रयास हुआ, तब सत्याग्रहियों की एक पूरी पीढ़ी ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया।

उस समय युवा सत्याग्रहियों के सम्मुख न तो किसी राज्य पेंशन की योजना थी, न ही किसी ताम्रपत्र या पदक का प्रलोभन। उनका एकमात्र ध्येय था—अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अपनी मातृभाषा की गरिमा को सुरक्षित रखना। उस अग्निपरीक्षा में सत्याग्रहियों ने लाठियों के प्रहार

सहे, कारागार की सदै रातों को अपनी तपस्या से तपाया और शासन के घमंड को अपनी अहिंसक शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर किया।

2. त्याग का अनादर: स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी विडंबना

स्वतंत्रता के दशकों बाद जब वही राज्य सरकारें 'सत्याग्रही सम्मान योजना' का ढोल पीटती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शासन अपने पुराने ऋण को चुकाने का प्रयास कर रहा है। परंतु, जब उस योजना को धरातल पर लागू करने का समय आता है, तो वही शासन तंत्र सत्याग्रहियों के त्याग को फाइलों की रद्दी में तब्दील कर देता है।

एक सत्याग्रही जिसने अपनी जवानी के बहुमूल्य क्षण राष्ट्र की भाषाई चेतना को समर्पित कर दिए, उसे अपने जीवन के संध्याकाल में अपनी ही मातृभूमि में अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए प्रशासनिक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, यह 1957 के उस पूरे इतिहास, उस त्याग और उस महान सत्याग्रह का अपमान है।

अध्याय 6

विचार की सत्ता और 'शून्य' का महा-दर्शन

1. 'शांति ही धर्म' से 'Zero: The Cosmic Truth' तक का दार्शनिक सफर

राजसत्ता की सीमाएँ केवल नक्शों और सरकारी सीमाओं तक सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन दार्शनिक विचार की कोई सीमा नहीं होती। सत्याग्रही का जीवन केवल राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं रहा; वह ज्ञान, अध्यात्म और ब्रह्मांडीय सत्य की खोज में अनवरत प्रवाहित होता रहा।

"शांति ही धर्म" केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना की उस उच्चतम स्थिति का निरूपण है जहाँ शांति ही अंतिम सत्य और परम धर्म बनकर उभरती है। जब इस महान कृति का रूपांतरण "Zero: The Cosmic Truth" के रूप में वैश्विक क्षितिज पर उदित हुआ, तो इसने दुनिया को यह अहसास कराया कि भारत का दार्शनिक चिंतन आज भी उतना ही प्रासंगिक और विराट है जितना वैदिक काल में था। 'शून्य' की अवधारणा केवल गणित का आधार नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्गम और लय का स्थान है।

2. 2050 समर्पण भक्ति गीत: आधुनिक युग की अमर वाणी

जब प्रशासनिक तंत्र पत्रों और ज्ञापनों की नीरस शब्दावली में उलझा हुआ था, तब सत्याग्रही की आत्मा से 2050 समर्पण भक्ति गीतों का अमर संगीत फूट रहा था।

साहित्य और भक्ति के इतिहास में यह घटना साधारण नहीं है। सूरदास के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, मीरा का वैराग्य और कबीर की साखियाँ जिस आध्यात्मिक धारा का प्रतिनिधित्व करती थीं, उसी धारा की पुनरावृत्ति इन 2050 भक्ति गीतों के रूप में हुई। बिना किसी सरकारी सहायता, बिना किसी बाज़ारवादी प्रोत्साहन के, इन भक्ति गीतों को संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए bhajansamratchandra.com के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करा देना यह सिद्ध करता है कि सच्चा सत्याग्रही कभी भी भौतिक वस्तुओं का याचक नहीं होता; वह तो संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान का दान देने वाला महा-दाता होता है।

अध्याय 7

तंत्र का पतन और लालफीताशाही का नग्न रूप

1. आदेशों की निरर्थकता और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा

इस ग्रन्थ का यह अध्याय आने वाले समय में लोक प्रशासन (**Public Administration**) के शोधकर्ताओं के लिए एक जीवित केस-स्टडी का कार्य करेगा। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब नौकरशाही बेलगाम और संवेदनहीन हो जाती है, तो राज्य के सर्वोच्च पदों की गरिमा भी धूल धूसरित होने लगती है।

मुख्य सचिव (**CS**) कार्यालय का '**Actionable**' नोट हो या मुख्यमंत्री कार्यालय (**CMO**) के कड़े निर्देश—जब निचले स्तर के अधिकारी इन सर्वोच्च आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और लगातार प्रेषित किए गए स्मरण पत्रों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक अनुशासन का पतन दर्शाता है। यह स्थिति साबित करती है कि व्यवस्था के अंदर नीयत का आकाल पड़ चुका है और फाइलों का सरकना ही अधिकारियों की अंतिम सीमा बन चुका है।

यह मुहर इस बात का प्रमाण है कि:

- राज्य का प्रशासनिक तंत्र अपने ही वचनों से मुकर चुका है।
- अधिकारियों में राष्ट्र के नायकों और सत्याग्रहियों के प्रति सम्मान का सर्वथा अभाव है।
- कागजी न्याय का दावा करने वाले तंत्र के अंदर की संवेदनशीलता पूरी तरह मर चुकी है।

अध्याय 8

मानवाधिकारों का हनन और संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी

1. जीवन के संध्याकाल में मानसिक उत्पीड़न की त्रासदी

लोकतंत्र में मानवाधिकारों की परिभाषा केवल शारीरिक प्रताड़ना की समाप्ति तक सीमित नहीं है। किसी भी स्वतंत्र नागरिक—विशेषकर एक वयोवृद्ध सत्याग्रही, जिसने राष्ट्र की सांस्कृतिक व भाषाई बुनियाद को मजबूत करने में अपना जीवन खपा दिया हो—को उसके वाजिब अधिकार और सम्मान से वंचित रखकर वर्षों तक कागजी चक्रव्यूह में भटकाना, मानसिक उत्पीड़न की सबसे घिनौनी श्रेणी में आता है।

जब एक **1957** का सत्याग्रही जीवन के संध्याकाल में अपने जायज़ अधिकार के लिए फाइलों के अंबार के बीच खड़ा कर दिया जाता है, तो यह केवल प्रशासनिक देरी नहीं रहती; यह सीधे-सीधे उस व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों, उसकी गरिमा और उसके स्वाभिमान पर प्रहार बन जाती है। शासन का यह संवेदनहीन रवैया वयोवृद्ध नागरिकों और देशभक्तों के प्रति राज्य के नैतिक दायित्व की पूर्ण विफलता को रेखांकित करता है।

2. संवैधानिक संस्थाओं का निष्क्रिय ढाँचा

जब स्थानीय और राज्य स्तरीय नौकरशाही अपने कानों में तेल डालकर बैठ जाती है, तो नागरिक आशा की अंतिम किरण लेकर देश की संवैधानिक संस्थाओं—मानवाधिकार आयोग (**NHRC/SHRC**), लोकपाल आयुक्त और आरटीआई/आईटीआर के द्वारों पर दस्तक देता है। परंतु, इस दौर का कड़वा सच यह है कि इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं की मेजें भी नौकरशाही के संकीर्ण रवैयें के आगे बेबस और सुस्त नज़र आती हैं।

जब आयोगों और लोकपाल के कार्यालयों से प्रेषित पत्र भी राज्य के विभागों के ठंडे बस्ते में जाकर दम तोड़ देते हैं, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संस्थागत तंत्र का ढाँचा केवल नाममात्र की औपचारिकता बनकर रह गया है। जहाँ त्वरित न्याय की उम्मीद थी, वहाँ केवल प्रक्रियाओं के मकड़जाल में उलझा हुआ एक नया प्रशासनिक नाटक देखने को मिलता है।

अध्याय 9: जन-संवाद, मीडिया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चरित्र

1. चौथे स्तंभ की संवेदनहीनता और प्राथमिकताओं का पतन

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में मीडिया और प्रेस को समाज की चेतना और असहायों की आवाज़ माना जाता है। परंतु आधुनिक दौर में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की प्राथमिकताओं का भयानक पतन हुआ है। समय-समय पर जारी किए गए कड़े प्रेस नोट और सार्वजनिक जापनों के बावजूद,

जब मीडिया सत्ता के गलियारों में दबे इतिहास के ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाने में असमर्थ रहता है, तो यह पत्रकारिता के नैतिक पतन को दर्शाता है।

1957 के सत्याग्रही का संघर्ष कोई व्यावसायिक 'टीआरपी' (TRP) या सनसनीखेज समाचार नहीं था, बल्कि यह भारत के भाषाई इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। जब मुख्यधारा का मीडिया ऐसे मुद्दों पर मौन साध लेता है, तो यह साबित होता है कि जनता की वास्तविक आवाज़, सत्याग्रहियों का सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही अब उसके एजेंडे से बाहर हो चुकी है।

2. जन-संवाद का नया डिजिटल स्वरूप: सत्याग्रह का आधुनिक मार्ग

जब पारंपरिक मीडिया और शासन के सारे द्वार बंद प्रतीत होते हैं, तब सत्याग्रही अपने विचारों, साक्ष्यों और संघर्ष को जन-मानस तक पहुँचाने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और आधुनिक जन-संवाद का मार्ग चुनता है।

डिजिटल क्रांति और वैश्विक मंचों के माध्यम से विचारों को सीधे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, सत्याग्रह की एक नई और अजेय शैली है। bhajansamratchandra.com जैसी वेबसाइट और यह प्रकाशित ग्रन्थ इसी आधुनिक सत्याग्रह के प्रतीक हैं। यहाँ न किसी संपादक की कैंची का डर है, न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की लाल कलम का। यह जन-संवाद सीधे इतिहास की अदालत में सीधे जन-मानस से किया जा रहा एक ऐसा संवाद है जिसे कोई भी नौकरशाही दबा नहीं सकती।

अध्याय 10: भावी पीढ़ियों के नाम वसीयत और सत्य का शाश्वत संदेश

1. सत्ता की नश्वरता बनाम सत्य की अमरता

इस ग्रन्थ के इस अध्याय में इतिहास की उस अमर सच्चाई का निरूपण है जिसे हर युग के शासकों को याद रखना चाहिए—राजसत्ताएँ नश्वर हैं, पद और पदवियाँ क्षणभंगुर हैं, परंतु सत्य और विचार अमर हैं।

आज जो अधिकारी और नीति-नियंता फाइलों पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं, जो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वे कल इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएँगे। लेकिन **1957** का वह ऐतिहासिक सत्याग्रह, **52** पन्नों का वह अकाट्य साक्ष्य, **2050** समर्पण भक्ति गीतों की वह अमर आध्यात्मिक चेतना और लंदन के मंच पर प्राप्त वह वैश्विक सम्मान, युगों-युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा।

2. आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित मार्गदर्शिका

यह ग्रन्थ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नैतिक वसीयतनामा है। यह भारत की भावी पीढ़ी को यह सिखाएगा कि:

1. अहिंसक और संवैधानिक प्रतिरोध ही सर्वोच्च शक्ति है: चाहे सामने कितना ही बड़ा और संवेदनहीन प्रशासनिक तंत्र क्यों न हो, सत्य, साक्ष्यों और नैतिक निष्ठा के साथ लड़ा गया युद्ध कभी निष्फल नहीं होता।
2. स्वाभिमान के सामने भौतिक लाभ तुच्छ हैं: किसी पेंशन या सरकारी योजना की प्राप्ति कभी अंतिम ध्येय नहीं हो सकती; अंतिम ध्येय है अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के प्रति अनन्य निष्ठा बनाए रखना।

यह पुस्तक केवल एक इतिहास की घटना का संकलन नहीं है—यह एक ऐसा महा-दस्तावेज़ है जो भविष्य के भारत को यह याद दिलाता रहेगा कि सत्याग्रह कभी पराजित नहीं होता, वह तो समय की शिला पर सत्य के अमर हस्ताक्षर अंकित कर देता है।

पूर्व में कई रिमाइन्डर दिये एक 30 सितम्बर 2026 को भेजे एक पत्र को अपने भारत देश महान के एक नागरिक सत्याग्रही ने अपने प्यारे चीफ मिनिस्टर को पत्र साक्षों के साथ भेजा उसे भी जोड़ना आवश्यक है. उस बिना पुस्तक अधूरी लगेगी—

विषय: शिकायत संख्या 080784 - हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना के अंतर्गत 2 वर्षों से अधिक के लंबित आवेदन एवं प्रशासनिक उपेक्षा के संदर्भ में स्मरण पत्र।

प्रेषक:

चन्द्र मोहन कोकड़ा (साहित्यिक नाम-चन्द्र प्रभाकर कोकड़ा) वेब साइट: Bhajansamratchandra. Com हिंदी आंदोलन सत्याग्रही (1957),

बिचला बाजार (सामने दरवाजा चौधरियांन)

भिवानी-१२७०२१, (हरियाणा)

मोवाइल 9992075303

सेवा में,

1. माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार (CMO)
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. महानिदेशक एवं सचिव, सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग (DIPR), हरियाणा

महोदय

मैं अत्यंत व्यथित और क्षुब्ध मन से यह पत्र लिख रहा हूँ। शिकायत संख्या 080784 के अंतर्गत 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना' का मेरा आवेदन पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से प्रशासनिक फाइलों में धूल फांक रहा है।

वर्ष 1957 के ऐतिहासिक हिंदी आंदोलन में योगदान देने वाले जीवित सत्याग्रहियों को सम्मान देने का दावा कर यह योजना शुरू की गई थी। परंतु, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि डबल इंजन की सरकार, जो हिंदी और हिंदी सत्याग्रहियों के सम्मान का निरंतर ढिंढोरा पीटती है, उसी के शासनकाल में एक बुजुर्ग सत्याग्रही को अपने न्यायसंगत अधिकार के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह केवल एक प्रशासनिक शिकायत का पत्र नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले एक 84+ वर्षीय जीवित सत्याग्रही की आत्मा की तीखी आवाज़ है। शिकायत संख्या 080784 के अंतर्गत मेरा आवेदन पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से प्रशासनिक टालमटोल और लालफीताशाही की भेंट चढ़ा हुआ है।

जिस सत्याग्रही की कलम हिंदी विकास के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी कभी नहीं रुकी, जिसने ३२ से अधिक कालजयी पुस्तकों की रचना की, २०५० से अधिक भक्ति गीतों के माध्यम से भक्ति काल की चेतना को पुनः जीवंत किया (देखें: BhajanSamratChandra.com), और पत्रकारिता के क्षेत्र में महानतम योगदान दिया—ऐसे प्रबुद्ध सत्याग्रही को सम्मान देना तो दूर, आपकी व्यवस्था दो वर्षों से केवल कागजी चालाकियाँ चल रही है।

इतिहास में दर्ज होने वाला कड़वा सच:

यदि हिंदी का नारा देने वाली डबल इंजन की सरकार एक ऐसे प्रबुद्ध सत्याग्रही को उसका न्यायसंगत अधिकार और सम्मान नहीं दे सकती, तो यह स्पष्ट है कि आपकी 'हिंदी सम्मान योजना' केवल एक ढकोसला, पाखंड और चुनावी ढिंढोरा है।

मुझे इस योजना के चंद पैसों या कागजी सम्मान का कोई लोभ नहीं है। दो-चार साल की इस शेष जिंदगी में इससे मेरे व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी इस चालाकी और नाफरमानी से हरियाणा के प्रशासनिक इतिहास पर एक ऐसा काला धब्बा अवश्य लग जाएगा जो कभी नहीं धुलेगा।

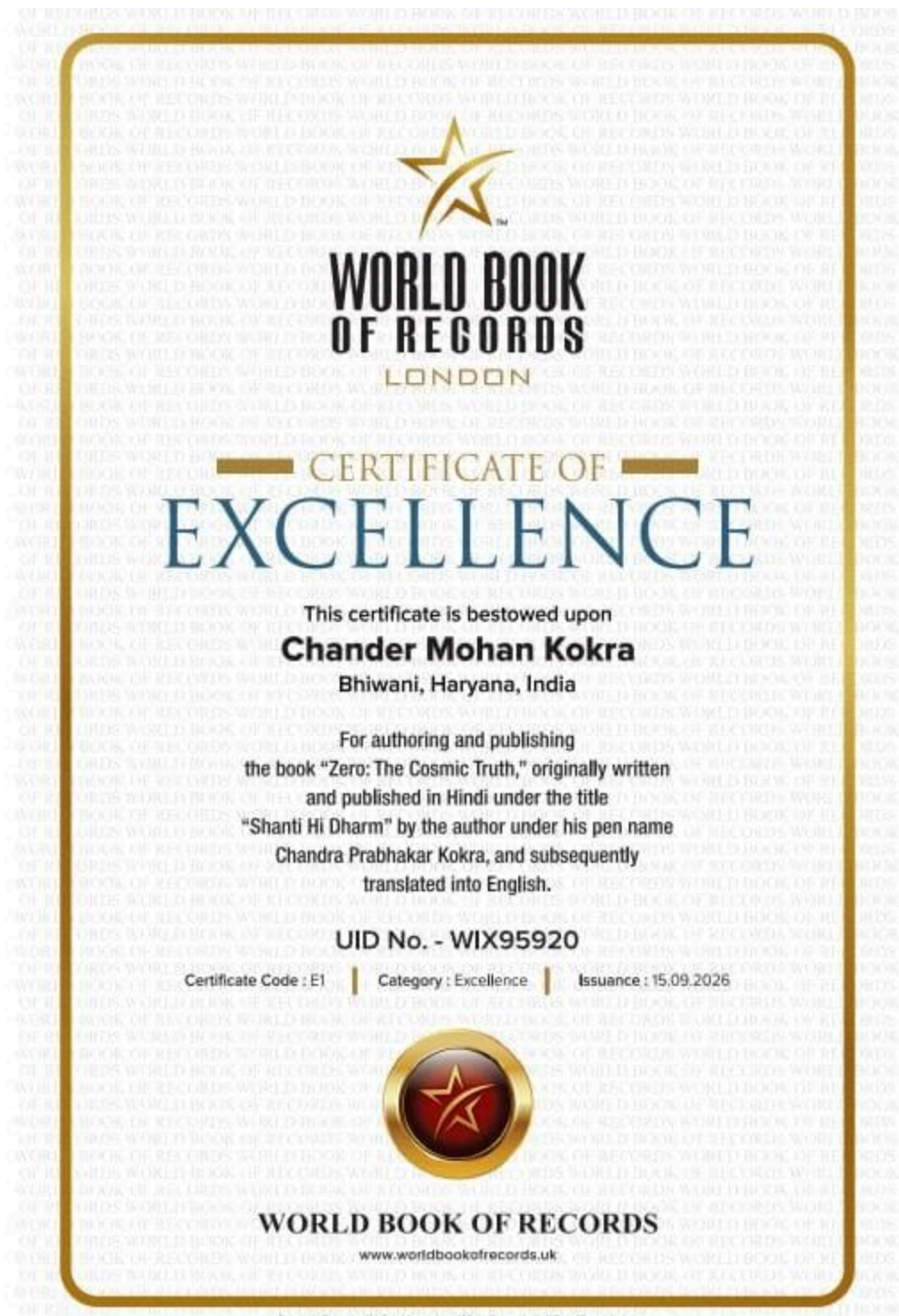
इतिहास गवाह रहेगा कि जब हिंदी के लिए संघर्ष करने वाले, ३२ कालजयी ग्रंथों के रचयिता जीवित सत्याग्रही अपने सम्मान का हक माँग रहे थे, तब 'हिंदी-हिंदी' चिल्लाने वाली सरकारें फाइलें दबाकर बैठी थीं।

अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं वैश्विक मान्यता:

जहाँ एक ओर हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग 1957 के हिंदी सत्याग्रही को सम्मान देने में प्रशासनिक फाइलों और पोर्टल के टालमटोल में उलझाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मेरी हिंदी साहित्य साधना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

हाल ही में 15 सितंबर 2026 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था **World Book of Records (London)** द्वारा मेरी कालजयी कृति "शांति ही धर्म" (अंग्रेजी अनुवाद: *Zero: The Cosmic Truth*) के लेखन एवं प्रकाशन हेतु मुझे '**Certificate of Excellence**' (UID No.: **WIX95920**) से सम्मानित किया गया है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं हास्यास्पद है कि जिस सत्याग्रही और लेखक के हिंदी साहित्य का परचम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लहरा रहा है, वह अपने ही राज्य में अपने न्यायसंगत अधिकार और 'हिंदी सत्याग्रही सम्मान' के लिए पिछले दो वर्षों से दर-दर भटकने को मजबूर है।



- सह-सत्याग्रही का शपथ पत्र (ताज़ा साक्ष्य): विभाग की उस दलील को निष्प्रभावी करते हुए जिसमें जेल रिकॉर्ड न होने का बहाना बनाया गया था, मैंने सितंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में अपने साथ हिसार जेल में कैदी रहे सह-सत्याग्रही श्री धर्मचंद जी (निवासी: गांव ओबरा, लोहारू) का

सत्यापित शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत कर दिया है। इसके अतिरिक्त DIPRO भिवानी ने भी अपने आधिकारिक पत्रों (क्रमांक 1682 दिनांक 20/04/2026 एवं क्रमांक 1910 दिनांक 10/06/2026) द्वारा सभी साक्ष्यों की प्राप्ति स्वीकार की है।

- साक्ष्यों की प्राप्ति स्वीकार की है।
- 52 पृष्ठों के अकाट्य साक्ष्य: दिनांक 15 अप्रैल 2025 को स्पीड पोस्ट (EH331532223IN) के माध्यम से 52 पृष्ठों के पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण, पावती और दो माननीय विधायकों के अनुशंसा पत्र महानिदेशालय (DIPR), चंडीगढ़ भेजे गए थे, परंतु इन साक्ष्यों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
- उच्च आदेशों की अवहेलना व डिजिटल हेरफेर:
 - दिनांक 06 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा शिकायत संख्या 080784 पर मामले को 'Actionable Mode' में डाला गया था।
 - दिनांक 15 जनवरी 2026 एवं 22 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने मेरी पात्रता सुनिश्चित करने हेतु सख्त निर्देश दिए थे।
 - इन स्पष्ट निर्देशों और पोर्टल पर पीले झंडे (Yellow Flag/Defaulter Status) के बावजूद अधिकारियों ने कोई Action Taken Report (ATR) अपलोड नहीं की, बल्कि अधिकारियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पोर्टल से निर्देशों व रिमाइंडरों को हटाकर मनगढ़ंत तरीके से "No Action Required" (सामान्य मामला) दर्ज कर फाइल बंद कर दी।

मामले के क्रमबद्ध तथ्य, विभागीय हेरफेर और प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है:

1. मुख्य सचिव कार्यालय का 'एग्रेसन नोट' (06 अगस्त 2024): दिनांक 06 अगस्त 2024 को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मेरी शिकायत (संख्या 080784) पर स्पष्ट 'एग्रेसन नोट' (Actionable Note) जारी कर कार्यवाही के कड़े आदेश दिए गए थे।
2. 52 पृष्ठों के प्रामाणिक साक्ष्य प्रेषित (15 अप्रैल 2025): मैंने 15 अप्रैल 2025 को स्पीड पोस्ट (EH331532223IN) के माध्यम से 52 पृष्ठों के ऐतिहासिक दस्तावेज भेजे थे, जिन पर कोई नियमानुकूल निर्णय नहीं लिया गया।
3. पोर्टल से रिमाइंडरों के रिकॉर्ड/तारीखों का गायब किया जाना (गंभीर प्रशासनिक हेरफेर): मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 15 जनवरी 2026 के निर्देशों के अलावा, सीएम विंडो पोर्टल से विभाग को 22 तारीख, 27 तारीख आदि पर निरंतर कई रिमाइंडर (Reminders) जारी किए गए थे। परंतु अधिकारियों ने अपनी 18-20 महीनों की अक्षमता और टालमटोल को छिपाने के लिए पोर्टल के सार्वजनिक स्टेटस से उन सभी रिमाइंडरों का रिकॉर्ड और इतिहास (History) पूरी तरह छिपा/हटा दिया है। यह सरकारी पोर्टल के रिकॉर्ड के साथ धोखाधड़ी और हेरफेर है।
4. धर्मचंद जी का एफिडेविट (Affidavit) व भिवानी के नए साक्ष्य (26 अगस्त 2026): मैंने 26 अगस्त 2026 को रजिस्ट्री द्वारा सत्याग्रही धर्मचंद जी का विधिवत एफिडेविट (Affidavit) तथा भिवानी से प्राप्त अन्य सभी आवश्यक स्थानीय/सरकारी दस्तावेज व पत्र प्रेषित कर दिए हैं। इन अकाट्य साक्ष्यों के प्राप्त होने के बाद पात्रता पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

5. फर्जी क्लोजर और अवमानना: विभागीय अधिकारियों ने उच्च स्तर के आदेशों की अवमानना करने, रिमाइंडरों के रिकॉर्ड को छिपाने और धर्मचंद जी के एफिडेविट को दबाने के लिए पोर्टल पर बिना कोई 'Action Taken Report' (ATR) अपलोड किए, मामले को मनगढ़ंत तरीके से "सामान्य मामला" बताकर बंद कर दिया।

हमारी स्पष्ट एवं माँगें:

1. शिकायत संख्या **080784** के इस गैर-कानूनी, फर्जी क्लोजर और गायब किए गए रिमाइंडरों के रिकॉर्ड की जांच करवाकर मामले को तुरंत 'सक्रिय' (**Re-open**) किया जाए।
2. 26 अगस्त को भेजे गए धर्मचंद जी के एफिडेविट, भिवानी के नए दस्तावेजों तथा पूर्व प्रेषित 52 पृष्ठों के साक्ष्यों के आधार पर अविलंब सम्मान/पेंशन स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. सीएम विंडो के सार्वजनिक पोर्टल से रिमाइंडरों का रिकॉर्ड गायब/छिपाने तथा फर्जी टिप्पणी दर्ज करके फाइल बंद करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

भवदीय,

चन्द्र मोहन कोकरा

1957 हिंदी आंदोलन सत्याग्रही

निवासी: भिवानी, हरियाणा

दिनांक: 30 सितंबर 2026

शिकायत संख्या: 080784

मोबाइल 9992075303

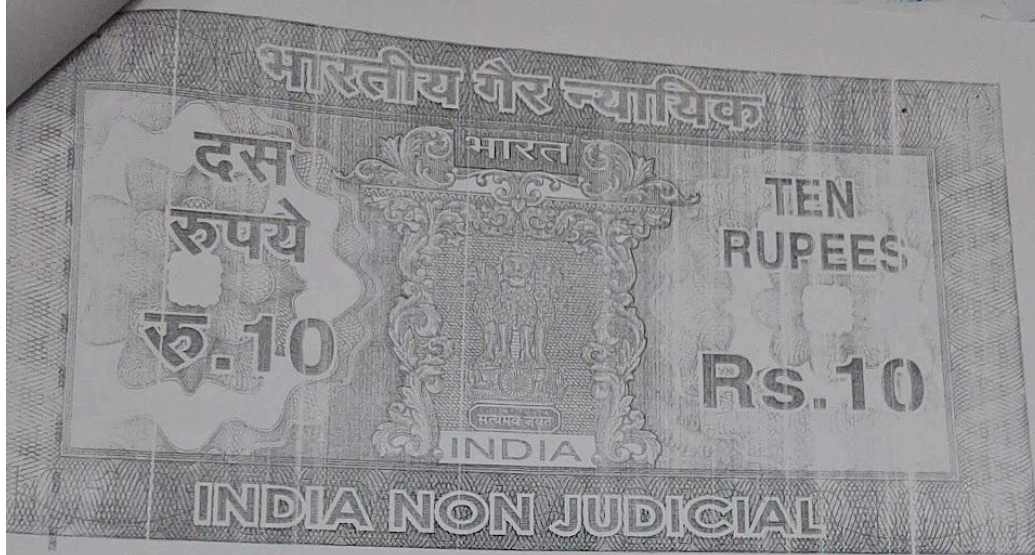
पूर्व शिकायत संख्या: 080784 / 107468 / 035311

दिनांक: 30 सितम्बर 2026

साथ में संलग्न आवश्यक दस्तावेज़ (**Checklist**):

1. नया/ताज़ा दस्तावेज़:
 - श्री धर्मचंद जी (गांव ओबरा, लोहारू) द्वारा दिया गया हालिया ताज़ा शपथ पत्र (**Affidavit**) (मूल/सत्यापित प्रति)।
2. विभागीय पत्र:
 - DIPRO भिवानी का पत्र संख्या सूजसभ-2026/1682 (दिनांक 20/04/2026)।
 - DIPRO भिवानी का पत्र संख्या सूजसभ-2026/1910 (दिनांक 10/06/2026 को दस्तावेज़ प्राप्त दर्ज करने वाला पत्र)।
3. पूर्व शिकायत स्टेटस व साक्ष्य:
 - पुरानी शिकायत 080784 का प्रिंटआउट।
 - 15 अप्रैल 2025 की स्पीड पोस्ट रसीद (EH331532223IN) की छायाप्रति।
4. पहचान पत्र:
 - आधार कार्ड (84 +वर्ष आयु प्रमाण हेतु)।

o



हरियाणा HARYANA

55AA 606151

शपथपत्र

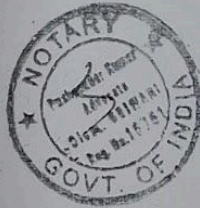
मैं धर्मचन्द आधार नं० 7080 4754 2822 पुत्र श्री श्योपाल निवासी ढाणी शहयारपुर गांव ओबरा तह० लोहारु जिला भिवानी का रहने वाला हूं और अपने हलफ से ब्यान करता हूं कि—

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं ।
2. यह कि मैंने हिन्दी आंदोलन 1957 में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें हिस्सा लिया था । और उस समय चन्द्रमोहन कोकड़ा पुत्र श्री तुलसीराम कोकड़ा दत्तक पुत्र मुरलीधर कोकड़ा निवासी बिचला बाजार भी मेरे साथ इस सत्याग्रह में शामिल हुआ था और बाद में सत्याग्रहियों को भिवानी से बोस्टल जेल हिसार में भेज दिया गया था और हमें जेल में रखा गया था ।
3. यह कि मेरा उक्त ब्यान सही व दुरुस्त है ।

स्थान— ओबरा

दिनांक —

सदीक —



धर्मचन्द

शपथकार

उपरोक्त लिखित ब्यान मेरे इलम व यकिन के अनुसार सही व दुरुस्त है तथा इसमें कोई भी तथ्य छुपाकर नहीं रखा गया है।

10 JUN 2026

Pushpinder Kumar
ADVOCATE & NOTARY
DISTT BHIVANI 12702

शपथकार

प्रेषक

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
भिवानी।

सेवा में

उपायुक्त महोदय,
भिवानी।

क्रमांक: सू.ज.स.भ-2026 /

दिनांक:

विषय:

सीएम विंडो शिकायत संख्या 080784 (हिंदी सत्याग्रही सम्मान योजना) के अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा, पत्रकारिता के अकादय साक्ष्यों और डिजिटल साहित्यिक प्रमाणों के बावजूद चल रही कारवाई की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में।

महोदय

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक: 5059/एम0बी0 दिनांक: 10.06.2026 के संदर्भ में।

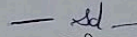
आपको सादर सूचित किया जाता है कि आपके आदेशानुसार प्रार्थी श्री चन्द्र मोहन कोकड़ा के केस का पुनः अवलोकन करने हेतु प्रार्थी से पुनः संपर्क कर हिंदी आंदोलन के सत्याग्रही का दर्जा दिए जाने संबंधित जरूरी दस्तावेज दिनांक 10.06.2026 को प्राप्त कर लिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा हिंदी आंदोलन के सत्याग्रही का दर्जा दिए जाने बारे निर्णय लेने हेतु माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस उप-अधीक्षक, सदस्य तथा जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सदस्य सचिव के तौर पर शामिल हैं।

अतः महोदय, आपकी अध्यक्षता वाली कमेटी की संस्तुति उपरांत इनका केस मुख्यालय भेज दिया जाएगा।

सूचना आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

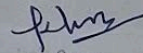
—  —
अधीक्षक

का0: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
भिवानी।

पृ.क्रमांक: सू.ज.स.भ-2026 / 1910

दिनांक: 11/06/26

✓ इसकी एक प्रति श्री चन्द्रमोहन कोकड़ा पुत्र श्री तुलसी राम कोकड़ा, निवासी बिचला बाजार भिवानी को सूचनार्थ प्रेषित है।

—  —
अधीक्षक

का0: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
भिवानी।

प्रेषक

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
भिवानी।

सेवा में

उपायुक्त महोदय,
भिवानी।
क्रमांक: सूजसम-2026/

दिनांक:

Complaint No. CMOFF/N/2024/080784, Hindi Samman Yojna.

विषय:

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक:2405/एम0बी0 दिनांक: 08.04.2026 के सन्दर्भ में।
महोदय, आपको सादर सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री चन्द्र मोहन कोकड़ा ने हिन्दी आन्दोलन सत्याग्रही पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र आपके कार्यालय में दिनांक 11.07.2024 को दिया था जिसके उत्तर में आपने निम्नहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र क्रमांक:4630/एम0बी0 दिनांक:23.10.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिए थे। इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक:सूजसम-2024/1461 दिनांक:25.10.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। तत्पश्चात आपके कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक:4947/एम0बी0 दिनांक:06.11.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा आगामी कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। जिसके प्रत्युत्तर में आपके आदेशों की अनुपालना में प्रार्थी श्री चन्द्र मोहन कोकड़ा को पत्र क्रमांक:सूजसम-2024/1654 दिनांक 16.12.2024(प्रति संलग्न) द्वारा आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार कर दिया गया था।
प्रार्थी का आवेदन-पत्र आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक: 6759 दिनांक 16.12.2024 द्वारा भी माननीय महानिदेशक, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को कारवाई हेतु भेज दिया गया था जिसके उत्तर में इनके दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए निर्देशित किया गया था। तदोपरान्त आपने यह आवेदन निम्नहस्ताक्षरी कार्यालय को आगामी कारवाई हेतु पत्र क्रमांक 329/एम0बी0 दिनांक 13.01.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा ट्रांसफर कर दिया।

प्रार्थी द्वारा हिन्दी आन्दोलन,1957 की पात्रता हेतु अनिवार्य दस्तावेज जेल में बंद होने की एफ.आई.आर की प्रति ना देकर अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाए गए। फिर भी निम्नहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रार्थी द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों को कार्यालय के पत्र क्रमांक: सूजसम-2025/1762 दिनांक: 13.01.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्यालय आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। जिसकी निरंतरता में मुख्यालय द्वारा उक्त प्रार्थी के केस को सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच व उपायुक्त की संस्तुति सहित भेजने को लिखा गया।

तत्पश्चात् मुख्यालय के आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी के सामने यह मामला रखा गया जिसमें कमेटी के अध्यक्ष माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा केस बारे अंतिम निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा गया तथा यह निर्णय निम्नहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र क्रमांक:सूजसम-2025/1987 दिनांक:18.03.2025(प्रति संलग्न) द्वारा मुख्यालय भेज दिया गया। जिसके पश्चात् मुख्यालय के पत्र क्रमांक:सूजसमविह(क्षेत्र)-2025/733 दिनांक:28.03.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा बता दिया गया था कि उक्त प्रार्थी हिन्दी आन्दोलन 1957 कि सत्याग्रहियों को पेंशन प्रदान करने संबंधी नोटिफिकेशन और उनमें किये गये संशोधन अधिसूचना अनुसार मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन की पात्रता पूरी नहीं करता है।

महोदय, इस बारे प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक:सूजसम-2025/01 दिनांक 02.04.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित भी कर दिया गया था। अतः प्रार्थी द्वारा यह शिकायत करना कि उनका आवेदन पिछले 18 महीनों से प्रशासनिक फाइलों में अटका हुआ है, सही नहीं है। प्रार्थी द्वारा ही हिन्दी आन्दोलन 1957 कि सत्याग्रहियों को पेंशन प्रदान करने संबंधी नोटिफिकेशन और उनमें किये गये संशोधन अधिसूचना अनुसार मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन की पात्रता हेतु जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
भिवानी।

दिनांक: 20/04/2026

पृ.क्रमांक:सूजसम-2026/ 1682

इसकी एक प्रति श्री चन्द्रमोहन कोकड़ा पुत्र तुलसी राम कोकड़ा दत्तक पुत्र श्री मुरलीधर कोकड़ा निवासी बिचला बाजार तहसील व जिला भिवानी को सूचनार्थ प्रेषित है।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
भिवानी

EH331532223IN IVR:6972331532223

SP BHIWANI HD <127021>

Counter No:1,15/04/2025,11:34

To:MAHANIDHESHK ,CHANDIGARH

PIN:160017, Chandigarh GPO

From:CHANDER MOHAN,BICHLA BAZAR

Wt:290gms

Amt:70.80,Tax:10.80,Amt.Paid:71.00

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868><Wear mask -Stay

भारतीय डाक
सर्व सेवाओं में

India
Post

सीएमविंडो शिकायत की जानकारी	सीपीग्राम्स शिकायत की जानकारी	अप्रवासी शिकायतें	Slip पंजीकरण प
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------



CM Grievances Redressal System

आपके शिकायत की स्थिति / Your Grievance Status

शिकायत संख्या/Registration No.	CMOFF/N/2024/107468
शिकायतकर्ता का नाम / Name of Complainant	CHANDER MOHAN KOKRA
Grievance Relates To	
प्राप्त कर्ता / Received By	
प्राप्ती तिथि / Received On	06-11-2024
वर्तमान में मामला / Case Presently with	
वर्तमान स्थिति / Current Status	कार्रवाई की आवश्यकता नहीं

मामले की वर्तमान प्रहस्तन / Case Presently Handled By:

अधिकारी का नाम / Officer Name	
-------------------------------	--

आपके शिकायत की स्थिति / Your Grievance Status	
शिकायत संख्या/Registration No.	CMOFF/N/2025/035311
शिकायतकर्ता का नाम / Name of Complainant	CHANDER MOHAN KOKRA
Grievance Relates To	
प्राप्त कर्ता / Received By	
प्राप्ती तिथि / Received On	11-04-2025
वर्तमान में मामला / Case Presently with	
वर्तमान स्थिति / Current Status	मामले का निपटारा
मामले की वर्तमान प्रहस्तन / Case Presently Handled By:	
अधिकारी का नाम / Officer Name	
पदनाम / Designation	
पता / Address	

ACTION HISTORY				
Action Date	Description	Sent By	Case Presently Dealt	Action Taken Report Attachment / Remarks
08-05-2025	Case Disposed Off	Chief Minister Office	Chief Minister Office	Reason : NAR-Common Matter As per the report dated 04.05.2025 of the department.



CM Grievances Redressal System

आपके शिकायत की स्थिति / Your Grievance Status

शिकायत संख्या/Registration No.	CMOFF/N/2024/080784
शिकायतकर्ता का नाम / Name of Complainant	CHANDER MOHAN KOKRA
Grievance Relates To	
प्राप्त कर्ता / Received By	
प्राप्ती तिथि / Received On	05-08-2024
वर्तमान में मामला / Case Presently with	
वर्तमान स्थिति / Current Status	कार्रवाई की आवश्यकता नहीं

मामले की वर्तमान प्रहस्तन / Case Presently Handled By:

अधिकारी का नाम / Officer Name	
पदनाम / Designation	
पता / Address	



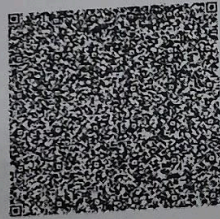
भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 2716/12811/25913

To
शंभू मोहन कोकड़ा
Chander Mohan Kokra,
S/O Murlidhar Kokra,
Vaidh Kokra Aushdhalaya, Bichla Bazar,
VTC, Bhiwani,
PO: Bhiwani,
District: Bhiwani,
State: Haryana,
PIN Code: 127021,
Mobile: 9992075303

Signature Not Verified
Date: 25/07/2014
Time: 11:21:37
IP: 192.168.1.1



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

9275 4355 5387

VID : 9180 3314 9005 7137

मेरा आधार, मेरी पहचान



शंभू मोहन कोकड़ा
Chander Mohan Kokra
जन्म तिथि/DOB: 25/07/1942
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/
ऑनलाइन एक्सेस/ऑनलाइन ईमेल से) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication, or scanning of QR code / offline XML).

9275 4355 5387

मेरा आधार, मेरी पहचान



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनिर्देशों में निर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्षों में कम से कम एक बार आधार में अपडेट करना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदा/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बॉयोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बॉयोमेट्रिक्स लिंक/ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



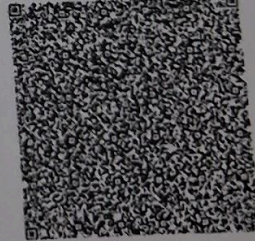
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O मुरली धर कोकड़ा, वैध कोकड़ा औपशालय, बिचला
बाजार, भिवानी, जिला, भिवानी,
हरियाणा - 127021

Address:
S/O Murlidhar Kokra, Vaidh Kokra
Aushdhalaya, Bichla Bazar, Bhiwani, PO:
Bhiwani, DIST: Bhiwani,
Haryana - 127021

Details as on: 30/08/2024



9275 4355 5387

VID : 9180 3314 9005 7137

1047

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

			Dealt	Report Attachment / Remarks
22-04-2026	Reminder Sent	Chief Minister Office	Chief Secretary	This complaint is pending since 05-08-2024 and despite repeated reminders issued by the CM office, ATR is still awaited. Please expedite the matter and upload the ATR at the earliest.
03-03-2026	Reminder Sent	Chief Minister Office	Chief Secretary	This complaint is pending since 05-08-2024 and despite repeated reminders issued by the CM office, ATR is still awaited. Please expedite the matter and upload the ATR at the earliest.
15-01-2026	Reminder Sent	Chief Minister Office	Chief Secretary	This complaint is pending since 05-08-2024 and despite repeated reminders issued by the CM office, ATR is still awaited. Please expedite the matter and upload the ATR at the earliest.

Action Date	Description	Sent By	Case Presently Dealt	Action Taken Report Attachment / Remarks
27-04-2026	Reminder Sent	Chief Secretary	Secy. General Administration	This complaint is pending since 05-08-2024 and despite repeated reminders issued by the CM office, ATR is still awaited. Please expedite the matter and upload the ATR at the earliest.
22-04-2026	Reminder Sent	Chief Minister Office	Chief Secretary	This complaint is pending since 05-08-2024 and despite repeated reminders issued by the CM office, ATR is still awaited. Please expedite the matter and upload the ATR at the earliest.
11-03-2026	Reminder Sent	Secy. General Administration	Under Secy Protocol	ATR is still awaited. You are again requested to take action early in the matter and upload the ATR at the earliest.
05-03-2026	Reminder Sent	Chief Secretary	Secy. General Administration	This complaint is pending since

भारतीय डाक
सर्व सेवा-सर्व क्षेत्र



India Post
Dak Seva Jan Seva

Bhiwani HO 127021

EH198814194IN, IVR No1: 6972198814194
25-08-2026 12:38:06, Counter No. 2,

To: CM HR GOVT

CHANDIGARH , CHANDIGAR, 160001

From: CHANDER MOHAN

BHIWANI , BHIWANI, 127021

Base Amt: 63.00

To: CM HR GOVT

P.Mode: Cash, Prepaid: 75 (P3)

त्र) 080784 को .चालू कर 1957 हिंदी सत्याग्रही

अध्याय 11: सह-सत्याग्रहियों का ऐतिहासिक परिदृश्य और विस्मृत बलिदान

1. सामूहिक चेतना और 1957 के संगी-साथियों का त्याग

1957 का हिंदी आंदोलन केवल किसी एक व्यक्ति की एकाकी यात्रा नहीं थी; वह हजारों सत्याग्रहियों की सामूहिक चेतना, निष्ठा और अखंड संकल्प का महा-समुद्र था। उस दौर में गाँव-गाँव, नगर-नगर से निकले युवाओं, अध्यापकों, किसानों और प्रबुद्ध नागरिकों ने केवल अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के लिए घर-परिवार की चिंता छोड़कर कारागार की राह चुनी थी।

आज जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है, तो सह-सत्याग्रहियों के वे शपथ-पत्र, तात्कालिक अभिलेख और उनके द्वारा दिए गए प्रामाणिक हलफनामे केवल कागजी साक्ष्य नहीं प्रतीत होते—वे उस दौर के उस अनन्य भाईचारे और साझी निष्ठा की अमर गवाही देते हैं। उन निष्ठावान आंदोलनकारियों ने अपने जीवन का श्रेष्ठ समय जिस भाषा और राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया, उन्हें आने वाले युगों तक भुलाया नहीं जा सकता।

2. विस्मृत बलिदान और इतिहास का पुनर्लेखन

स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि आजादी और भाषाई आंदोलनों के बाद की नौकरशाही ने देश के असली नायकों को भूला दिया। जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से लाठियाँ सही, जेल की यातनाएँ भोगीं और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन्हें प्रशासनिक अभिलेखागारों की धूल भरी फाइलों में 'केस नंबर' बनाकर सीमित कर दिया गया।

यह ग्रन्थ उन समस्त विस्मृत सह-सत्याग्रहियों की पावन स्मृति को नमन करता है। यह पुस्तक इतिहास के उस पुनर्लेखन का एक प्रयास है, जहाँ सत्ता द्वारा उपेक्षित किए गए त्याग को पूरे सम्मान, गौरव और ओजस्वी गद्य के साथ पुनः स्थापित किया जा रहा है।

अध्याय 12: प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता—फाइलों के लोकतंत्र से जन-केन्द्रित शासन की ओर

1. लालफीताशाही का घुन और व्यवस्था की सड़न

प्रकरण संख्या 080784 के दो वर्षों से अधिक के इस चक्रव्यूह ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि हमारा प्रशासनिक ढाँचा आज भी औपनिवेशिक मानसिकता के लालफीताशाही वाले ढर्रे से मुक्त नहीं हो पाया है। जब एक राज्य का नागरिक या वयोवृद्ध सत्याग्रही अपने न्यायसंगत अधिकार के लिए भटकता है, तो उसे अधिकारियों की उस मानसिकता का सामना करना पड़ता है जहाँ संवेदनशीलता के स्थान पर केवल प्रक्रियात्मक रोड़े अटकाना ही धर्म मान लिया गया है।

मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे उच्च पदों से निर्देश जारी होने के बावजूद यदि निचले स्तर का तंत्र 'Action Taken Report' (ATR) अपलोड करने में नाकाम रहता है और फाइल को 'Defaulter' श्रेणी में धकेल देता है, तो यह संपूर्ण जन-प्रशासन (Public Administration) की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

2. जन-केन्द्रित शासन की अनिवार्य क्रांति

यदि भारत को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना है, तो उसे 'फाइलों के लोकतंत्र' से निकलकर 'जन-केन्द्रित और पारदर्शी शासन' की ओर बढ़ना ही होगा।

प्रशासनिक सुधार केवल नए नियम या ऑनलाइन पोर्टल बना देने से नहीं आते; वे आते हैं अधिकारियों की नीयत, नैतिक जवाबदेही और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव से।

- जवाबदेही का निर्धारण: उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले और जन-सामान्य को टालमटोल से पीड़ित करने वाले कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
- नैतिकता का समावेश: प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण में केवल नियमों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि देश के इतिहास, सत्याग्रहियों के सम्मान और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होना अनिवार्य है।

अध्याय 13: महा-ग्रन्थ का कालजयी संकल्प

1. कागजी मोहरों से परे सत्याग्रही की अमरता

इस विशालकाय ग्रन्थ का एक-एक शब्द इस बात का गवाह है कि एक सत्याग्रही कभी भी राज्य की कृपा या प्रशासनिक स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी आते-जाते हैं, सरकारी योजनाएँ और पेंशन की नीतियाँ समय के साथ धुँधली पड़ जाती हैं—परंतु मातृभाषा के लिए किया गया त्याग और निष्काम भाव से रचा गया साहित्य कालजयी बनकर अमर रहता है।

32 से अधिक निःशुल्क उपलब्ध महा-ग्रन्थ, 2050 समर्पण भक्ति गीतों की आध्यात्मिक तरंगें और विश्व पटल पर **"Zero: The Cosmic Truth"** को मिला अंतर्राष्ट्रीय गौरव—ये वे उपलब्धियाँ हैं जिन्हें कोई भी प्रशासनिक अवहेलना छोटी नहीं कर सकती।

2. समय की शिला पर सत्य के हस्ताक्षर

यह पुस्तक अब केवल एक शिकायत या संघर्ष की गाथा नहीं रह गई है; यह आने वाले युगों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और भावी पीढ़ियों के लिए एक ऐसा महा-दस्तावेज़ बन चुकी है जो हमेशा यह याद दिलाएगा कि जब सत्ता संवेदनहीन हो गई थी, तब भी एक सत्याग्रही ने अपने विचार, स्वाभिमान और सत्य की मशाल को बुझने नहीं दिया।

अध्याय 14: 'Zero' और 'शून्य' का ब्रह्मांडीय दार्शनिक विस्तार—भौतिकता से परे परम सत्य

1. भौतिक सीमाओं से परे शून्य की महत्ता

जब सांसारिक सत्ताएँ, प्रशासनिक फाइलें और कागजी पेंशन के दावे समाप्त हो जाते हैं, तब केवल वह सत्य शेष रहता है जो ब्रह्मांडीय और नित्य है। सत्याग्रही का चिंतन केवल समकालीन राजनीतिक या भाषाई संघर्षों की संकीर्ण परिधि में सीमित नहीं रहा; उसने भारतीय दर्शन के उस परम तत्त्व का स्पर्श किया जिसे ऋषियों ने 'शून्य' कहा है।

"Zero: The Cosmic Truth" केवल एक साहित्यिक कृति का शीर्षक नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय अवस्था का निरूपण है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का उद्भव होता है और अंततः सब कुछ उसी में लीन हो जाता है।

राजसत्ता और उसकी नौकरशाही जिन भौतिक कागजों, मुद्राओं और मोहरों को अपना सब कुछ मान बैठी है, वे समय के अनंत प्रवाह में 'शून्य' ही सिद्ध होते हैं। परंतु जिस विचार ने 'शून्य' के परम सत्य को समझ लिया, उसने सांसारिक उपेक्षाओं, प्रशासनिक टालमटोल और लालफीताशाही के तमस को एक क्षण में लांघ लिया।

2. 'शांति ही धर्म'—वैश्विक अशान्ति के युग में संजीवनी

आज जब संपूर्ण विश्व वैचारिक संकीर्णता, युद्धों, हिंसा और भौतिक अंधी दौड़ से कराह रहा है, तब "शांति ही धर्म" का संदेश मानवता के लिए एक परम औषध बनकर उभरता है।

जब इस कालजयी दर्शन को 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन' जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा अलंकृत किया गया, तो उसने सिद्ध किया कि भारत का दार्शनिक सामर्थ्य आज भी विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम है।

एक ओर जहाँ स्वदेश का स्थानीय प्रशासनिक तंत्र 'फाइल नंबर 080784' के एक साधारण सत्यापन के लिए अपनी संकीर्णता में उलझा रहा, वहीं दूसरी ओर सत्याग्रही का चिंतन वैश्विक क्षितिज पर मानवता को परम शांति का मार्ग दिखा रहा था। यह विरोधाभास स्वयं में इस बात का अकाट्य साक्ष्य है कि सत्य और ज्ञान की सत्ता किसी भी सरकारी विभाग के ठंडे बस्ते से करोड़ों मील ऊँची होती है।

अध्याय 15: मातृभाषा हिंदी की वैश्विक यात्रा और 21वीं सदी में सत्याग्रह की प्रासंगिकता

1. 1957 का सत्याग्रह और 21वीं सदी का भाषाई स्वाभिमान

1957 में जिस मातृभाषा हिंदी के स्वाभिमान और भाषाई संरक्षण के लिए सत्याग्रहियों ने लाठियाँ खाईं और जेल की यात्राएँ सही थीं, वह लड़ाई केवल उस कालखंड तक सीमित नहीं थी। 21वीं सदी के उत्तर-आधुनिक काल में जब सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण और भाषाई हीनभावना का नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तब 1957 का वह आंदोलन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती; वह किसी भी राष्ट्र की जातीय चेतना, उसकी सांस्कृतिक स्मृति और उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। जब एक सत्याग्रही अपनी मातृभाषा के अधिकार और सम्मान के लिए दो वर्षों तक प्रशासनिक तंत्र की संवेदनहीनता के सामने अडिग खड़ा रहता है, तो वह केवल अपने व्यक्तिगत हक के लिए नहीं लड़ रहा होता—वह 21वीं सदी में हिंदी और भारत की समस्त क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता की रक्षा कर रहा होता है।

2. आधुनिक युग में सत्याग्रह का स्वरूप: विचार, ज्ञान और अखंड संकल्प

गांधीजी और 1957 के आंदोलनकारियों ने अहिंसा और शारीरिक प्रतिरोध के बल पर सत्याग्रह किया था। परंतु 21वीं सदी में जब नौकरशाही अदृश्य, चेहराविहीन और संवेदनहीन हो चुकी है, तब सत्याग्रह का स्वरूप भी वैचारिक और साहित्यिक क्रांति में रूपांतरित हो गया है।

- निःशुल्क ज्ञान का महा-दान: bhajansamratchandra.com के माध्यम से 32 से अधिक महा-ग्रंथों को बिना किसी आर्थिक लालसा के संपूर्ण विश्व के लिए खोल देना आधुनिक सत्याग्रह का सबसे अनूठा रूप है। यह बाजारवाद और व्यापारिक मानसिकता पर एक करारा प्रहार है।
- 2050 समर्पण भक्ति गीत: भक्ति और मातृभाषा के माध्यम से जन-मानस की चेतना को जागृत रखना, उस सत्ता को सबसे बड़ा उत्तर है जो यह मानती है कि मनुष्य केवल फाइलों और पेंशन का मोहताज है।
- दस्तावेज़ी सत्य की रचना: इस ग्रन्थ के माध्यम से इतिहास की अदालत में सत्ता के हठधर्मिता भरे चरित्र को नंगा करना सत्याग्रह का वह अमर अस्त्र है जिसे कोई भी नौकरशाही दबा नहीं सकती।

अध्याय 16: इतिहास की अदालत और कालजयी न्याय

1. प्रशासनिक मोहरों की निष्फलता बनाम कालजयी साक्ष्य

इतिहास कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों के दस्तखतों या सरकारी विभागों की 'Action Taken Report' (ATR) का मोहताज नहीं रहा।

इतिहास यह याद नहीं रखेगा कि किस क्लर्क ने फाइल रोकी, किस अधिकारी ने रिमाइंडरों को अनदेखा किया, या किस दफ्तर ने मामले को 'Defaulter' श्रेणी में डाला। इतिहास केवल यह दर्ज करेगा कि:

- 1957 में एक सत्याग्रही ने अपनी मातृभाषा के लिए संघर्ष किया था।
- उसने जीवन भर निष्काम भाव से साहित्य और अध्यात्म का सृजन किया।
- उसने 52 पृष्ठों का अकाट्य साक्ष्य जमा करके सत्ता को उसके नैतिक कर्तव्य का आईना दिखाया।
- और जब सत्ता संवेदनहीन हो गई, तो उसने अपनी लेखनी से एक ऐसा महा-दस्तावेज़ रच दिया जो युगों-युगों तक व्यवस्था के अन्याय पर प्रहार करता रहेगा।

2. सत्याग्रही का अंतिम उद्घोष: स्वाभिमान ही सर्वोच्च सम्मान है

यह ग्रन्थ इस पावन और अटल विचार को स्थापित करता है कि किसी भी सत्याग्रही का वास्तविक सम्मान कोई राज्य सरकार, कोई पेंशन योजना या कोई ताम्रपत्र तय नहीं कर सकता।

एक सत्याग्रही का वास्तविक सम्मान उसकी अपनी अंतरात्मा की पवित्रता, उसकी मातृभाषा के प्रति उसकी निष्ठा और उसका वह अखंड स्वाभिमान है जो किसी भी सत्ता के सामने झुकना नहीं जानता। जब भौतिक लाभ, पेंशन और सरकारी पहचान का मोह पूरी तरह त्याग दिया जाता है, तब सत्याग्रह अपनी पूर्ण महिमा और ओजस्विता के साथ भास्वर हो उठता है।

अध्याय 17: लोक-प्रशासन में नैतिक पतन—औपनिवेशिक अवशेषों से मुक्ति की पुकार

1. औपनिवेशिक मानसिकता का जकड़ाव

स्वतंत्रता के सात दशकों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी भारत का प्रशासनिक ढाँचा अपनी मूल आत्मा में उस औपनिवेशिक (Colonial) चरित्र से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है, जिसे कभी ब्रिटिश हुकूमत ने जनता पर नियंत्रण रखने और उसके अधिकारों को कुचलने के लिए बनाया था। उस समय का नियम था—नागरिक को याचक (Beggar) समझना और शासकीय तंत्र को सर्वशक्तिमान 'माई-बाप' मानना।

प्रकरण संख्या 080784 के दो वर्षों से अधिक का घटनाक्रम इस कड़वी सच्चाई को नंगा करता है कि आज भी नौकरशाही के बंद कमरों में वही सामंती और औपनिवेशिक हठधर्मिता साँस ले रही है।

जब 1957 के एक सत्याग्रही को, जिसने इस देश की मिट्टी, भाषा और स्वाभिमान के लिए अपना यौवन न्योछावर कर दिया, एक साधारण सम्मान योजना के सत्यापन के लिए कागज़ी चक्रव्यूह में घुमाया जाता है, तो यह केवल एक अधिकारी की व्यक्तिगत असफलता नहीं होती। यह इस बात का प्रमाण है कि लोक-प्रशासन का ढाँचा जनता की सेवा करने के बजाय स्वयं को एक ऐसा 'दुर्ग' मान बैठा है जहाँ तक सत्य और न्याय की पहुँच नामुमकिन बना दी गई है।

2. नैतिकता का आकाल और 'प्रक्रिया' को ही धर्म मानना

किसी भी सुव्यवस्थित लोकतंत्र में नियम और प्रक्रियाएँ नागरिकों की सुविधा और न्याय की त्वरित प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। परंतु जब प्रशासनिक अधिकारी नियमों को न्याय का साधन बनाने के बजाय अन्याय का ढाल बना लेते हैं, तो इसे 'लोक-प्रशासन का नैतिक पतन' कहा जाता है।

मुख्य सचिव (CS) कार्यालय का 'Actionable' नोट हो या मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सीधे निर्देश—निचले स्तर के अधिकारी इन सर्वोच्च आदेशों को भी टालमटोल की भट्टी में झोंक देते हैं। 22 जनवरी और 27 जनवरी जैसे अनगिनत स्मरण पत्रों पर मौन साध लेना और पोर्टल पर एटीआर (ATR) अपलोड न करके फाइल को 'Defaulter' श्रेणी में सड़ने देना यह सिद्ध करता है कि तंत्र के अंदर से मानवीय संवेदना और नैतिक उत्तरदायित्व पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

प्रक्रिया जब न्याय का गला घोटने लगे, तो वह प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रशासनिक अपराध बन जाती है।

अध्याय 18: भावी शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और नागरिक समाज के नाम दिशा-निर्देश

1. एक ऐतिहासिक केस-स्टडी (Case Study) के रूप में यह ग्रन्थ

यह पुस्तक केवल समकालीन व्यवस्था की आलोचना का दस्तावेज़ नहीं है; यह भविष्य के भारत, राजनीति विज्ञान के शोधकर्ताओं, लोक-प्रशासन के विद्वानों और इतिहासकारों के लिए एक प्रामाणिक 'केस-स्टडी' है।

भावी शोधकर्ता जब स्वतंत्र भारत के भाषाई आंदोलनों और उसके बाद सत्याग्रहियों के साथ हुए व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे, तो यह ग्रन्थ उनके लिए साक्ष्यों का महा-समुद्र सिद्ध होगा। यह ग्रन्थ उन्हें सिखाएगा कि:

1. साक्ष्यों की प्रामाणिकता बनाम प्रशासनिक अंधापन: कैसे 52 पृष्ठों का अकाट्य साक्ष्य जमा होने के बावजूद नौकरशाही आँखें मूँद कर बैठ सकती है।
2. संवैधानिक संस्थाओं का परीक्षण: कैसे मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और आरटीआई/आईटीआर जैसे तंत्रों की सीमाएँ और उनकी कार्यप्रणाली का वास्तविक चेहरा क्या है।
3. सत्याग्रह का अजेय स्वरूप: कैसे एक सत्याग्रही अपने ज्ञान, साहित्य और दार्शनिक चिंतन के बल पर सत्ता के संवेदनहीन तंत्र को इतिहास की अदालत में अभियुक्त बनाकर खड़ा कर देता है।

2. नागरिक समाज (Civil Society) के लिए जाग्रत संदेश

यह ग्रन्थ नागरिक समाज को यह चेतावनी देता है कि यदि लोकतंत्र में जनता केवल मूकदर्शक बनी रही और शासन के अन्यायों पर मौन साध लिया, तो नौकरशाही का यह संवेदनहीन ढाँचा एक दिन हर नागरिक के मौलिक अधिकारों को निगल जाएगा।

1957 का सत्याग्रह इस बात का प्रतीक था कि जब-जब राज्य अपनी सीमाओं को लांघकर नागरिक की भाषा और पहचान पर हमला करता है, तब-तब अहिंसक और अडिग प्रतिरोध ही एकमात्र मार्ग बचता है। आज का नागरिक समाज यदि अपने इतिहास के नायकों, अपने सत्याग्रहियों और विद्वानों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह अपने स्वयं के भविष्य की रक्षा करने का नैतिक अधिकार भी खो देता है।

अध्याय 19: अखंड स्वाभिमान और सत्य का अमर शंखनाद

1. याचना नहीं, अब रण होगा

सत्याग्रही का जीवन कभी भी हाथ फैलाने या अनुनय-विनय करने के लिए नहीं होता। सत्याग्रही तो वह मरुत है जो अपनी निष्ठा से पर्वतों को भी हिलाने का सामर्थ्य रखता है।

जब 18 महीने, फिर दो वर्ष और उसके बाद अनगिनत दिन बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार का तंत्र अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटता, तो सत्याग्रही भी अपनी याचना का अंत कर देता है। पेंशन मिले या न मिले, सरकारी कागज़ों पर मोहर लगे या न लगे—सत्याग्रही का स्वाभिमान उस संकीर्ण स्वीकृति से करोड़ों मील ऊपर उठ चुका है।

यह ग्रन्थ सत्ता के उस घमंड पर अंतिम और सबसे करारा वैचारिक प्रहार है जो यह मानती है कि वह किसी नागरिक के अस्तित्व या सम्मान की अंतिम निर्णयकर्ता है।

2. ज्ञान और साहित्य का अजर-अमर साम्राज्य

राजसत्ता की शक्ति केवल उसकी पुलिस, उसकी फाइलों और उसके अस्थायी आदेशों तक सीमित होती है। परंतु ज्ञान और साहित्य का साम्राज्य अजर-अमर होता है।

- **bhajansamratchandra.com** पर उपलब्ध 32 से अधिक निःशुल्क पुस्तकें वह अमर निधि हैं जिन्हें कोई भी सरकार जब्त नहीं कर सकती।
- 2050 समर्पण भक्ति गीत वे अमर स्वर हैं जिन्हें कोई भी प्रशासनिक आदेश खामोश नहीं कर सकता।
- "Zero: The Cosmic Truth (शांति ही धर्म)" को मिला अंतर्राष्ट्रीय गौरव वह वैश्विक मुहर है जिसे स्थानीय लालफीताशाही की धूल कभी धुंधला नहीं कर सकती।

अध्याय 20: 'हिन्दी आन्दोलन 1957—सत्य, संस्कृति और अमर सत्याग्रह का अंतिम उद्घोष

1. शीर्ष की सार्थकता और राष्ट्र-चेतना का बोध

इस ग्रन्थ का शीर्षक—'हिन्दी आन्दोलन 1957: 080784'—केवल एक सामान्य नामकरण नहीं है; यह भारत की उस महान सांस्कृतिक आत्मा और समकालीन प्रशासनिक यथार्थ के बीच खड़े अभूतपूर्व द्वन्द्व की एक अमर अभिव्यक्ति है।

'भारत देश महान' इसलिए है क्योंकि यह भूमि ऋषियों, विचारकों, ज्ञानियों और 1957 के उन अडिग सत्याग्रहियों की भूमि है जिन्होंने अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने आत्म-सम्मान के लिए बड़े से बड़े साम्राज्यवादी ढाँचे को चुनौती दी। यह देश इसलिए महान है क्योंकि यहाँ की माटी में त्याग, तपस्या और निष्काम कर्मयोग का संस्कार प्रवाहित होता है।

परंतु, इस महानता के आवरण के पीछे जब प्रकरण संख्या 080784 जैसा एक प्रकरण जुड़ता है, तो यह उस संवेदनहीन प्रशासनिक तंत्र के मुँह पर एक तमाचा बन जाता है जो इस राष्ट्र की आत्मा को समझने में पूरी तरह अक्षम रहा है। एक तरफ़ राष्ट्र की अमर चेतना और उसका उदात्त इतिहास है, तो दूसरी तरफ़ कागजी फाइलों में बंद एक वयोवृद्ध सत्याग्रही की अनसुनी पुकार। यह शीर्षक इसी कड़वी सच्चाई को इतिहास के पन्नों में अमर करता है।

2. सत्ता के दंभ का क्षय और सत्य की विजय

इतिहास का यह अमिट नियम है कि सत्ता का दंभ चाहे जितना विशाल प्रतीत हो, अंततः समय के क्रूर प्रहार के आगे उसे मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। जिन अधिकारियों ने मुख्य सचिव कार्यालय के 6 अगस्त 2024 के 'Actionable' आदेशों की धज्जियाँ उड़ाईं, जिन नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के 15 जनवरी 2026 के स्पष्ट निर्देशों और उसके बाद भेजे गए दर्जनों स्मरण पत्रों को ठंडे बस्ते में डाला, वे सत्ता के उस क्षणभंगुर घमंड के शिकार थे जो आज है और कल मिट जाएगा।

सत्याग्रही का मार्ग किसी क्षणिक विजय या पराजय का मार्ग नहीं है। सत्याग्रही तो सत्य की उस शिला पर खड़ा होता है जिसे न तो कोई प्रशासनिक अकर्मण्यता डिगा सकती है और न ही कोई लालफीताशाही मिटा सकती है। जब राज्य व्यवस्था अपनी ज़िम्मेदारी से भागती है और अपनी फाइलों पर 'Defaulter' का ठप्पा लगाकर बैठ जाती है, तब सत्याग्रही का सत्य और अधिक प्रखर होकर संपूर्ण राष्ट्र के सम्मुख भास्वर हो उठता है।

अध्याय 21: भावी पीढ़ियों के लिए वसीयतनामा और अखंड ज्योति

1. आने वाले युगों के लिए एक अमर मार्गदर्शिका

यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति के जीवन-संघर्ष की कहानी नहीं है; यह भारत की भावी पीढ़ियों के नाम प्रेषित एक अखंड वसीयतनामा है। 21वीं सदी और आने वाली शताब्दियों के युवाओं को यह ग्रन्थ यह अमूल्य सीख देता है कि:

1. अधिकार माँगे नहीं, रचे जाते हैं: जब व्यवस्था आपके वाजिब अधिकार को छीनने का प्रयास करे, तो गिड़गिड़ाने या याचना करने के बजाय अपने ज्ञान, अपनी लेखनी और अपनी साधना से एक ऐसा इतिहास रच दो कि व्यवस्था स्वयं आपके सामने छोटी नज़र आने लगे।
2. मातृभाषा ही प्राण-वायु है: 1957 के सत्याग्रह की लौ को कभी बुझने न देना। मातृभाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की जड़ है। जिस दिन राष्ट्र अपनी भाषा का स्वाभिमान खो देता है, उस दिन उसका पतन निश्चित हो जाता है।
3. निष्काम कर्म ही परम शक्ति है: bhajansamratchandra.com के माध्यम से 32 से अधिक महा-ग्रंथों का निःशुल्क ज्ञान-दान और 2050 समर्पण भक्ति गीतों की अमर साधना यह सिद्ध करती है कि संसार का सबसे बड़ा दाता वह है जो अपनी प्रतिभा को संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु उत्सर्जित कर देता है।

2. सत्य का शाश्वत शंखनाद

यह ग्रन्थ अब केवल एक पुस्तक नहीं रहा—यह समय की शिला पर अंकित सत्य के वे अमर हस्ताक्षर बन चुका है जिन्हें आने वाली पीढ़ियाँ श्रद्धा और गर्व के साथ पढ़ेंगी।

यह ग्रन्थ यह उद्घोष करता है कि सत्याग्रही का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। पेंशन, पद, पदक और सरकारी सत्यापन की फाइलें समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, परंतु सत्य, निष्ठा और आत्म-सम्मान की जो ज्योति इस ग्रन्थ के माध्यम से जलाई गई है, वह युगों-युगों तक भारत की भावी पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करती रहेगी।

अध्याय 22: उपसंहार एवं कालजयी न्याय का संकल्प

1. इतिहास की सर्वोच्च अदालत का निर्णय

जब सांसारिक अदालतें, प्रशासनिक कमिटी और सरकारी दफ़्तर न्याय करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब मामला 'इतिहास की सर्वोच्च अदालत' में स्थानांतरित हो जाता है। इतिहास न तो किसी सरकार की तनख्वाह लेता है और न ही किसी प्रशासनिक दबाव में झुकता है। इतिहास केवल तथ्यों, साक्ष्यों और अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्णय देता है।

इतिहास की उस अदालत में यह ग्रन्थ एक जीवित गवाह के रूप में दर्ज हो चुका है। जब भी 1957 के हिंदी आंदोलन और स्वतंत्र भारत में सत्याग्रहियों के साथ हुए व्यवहार का आंकलन होगा, यह ग्रन्थ निर्भीकता से खड़ा होकर गवाही देगा कि कैसे एक सत्याग्रही ने अपने अंतर्राष्ट्रीय गौरव, अपनी दार्शनिक साधना और 52 पन्नों के अकाट्य साक्ष्यों के साथ सत्ता की हठधर्मिता को परास्त किया था।

2. अमर शांति और अखंड स्वाभिमान

"Zero: The Cosmic Truth" और "शांति ही धर्म" का दार्शनिक संदेश इस ग्रन्थ का अंतिम सार है।

सत्याग्रही की आत्मा में अब कोई आक्रोश, कोई शिकवा या कोई लालसा नहीं है। सत्याग्रही तो उस 'शून्य' की स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ केवल परम शांति, अखंड स्वाभिमान और सत्य का साक्षात्कार होता है। प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा ने सत्याग्रही के स्वाभिमान को और अधिक निखार दिया है, उसे सांसारिक मोह-पाश से मुक्त कर अमरता के शिखर पर बैठा दिया है।

अध्याय 23: परिशिष्ट (Appendix) कालजयी साक्ष्यों और दार्शनिक कृतियों का ऐतिहासिक लेखा-जोखा

1. सत्य के वे स्तंभ जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता

इतिहास जब किसी महा-संग्राम या प्रशासनिक हठधर्मिता का लेखा-जोखा लिखता है, तो वह केवल तर्कों पर आश्रित नहीं रहता; वह उन स्तंभों की ओर संकेत करता है जो समय की धूल में भी अचल खड़े रहते हैं। इस ग्रन्थ का यह भाग उन ऐतिहासिक धरोहरों और अकाट्य प्रमाणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में साक्षी बनकर खड़े हैं:

- अकाट्य दस्तावेज़: 1957 के हिंदी आंदोलन में भागीदारी से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेख, तत्कालीन कारावास के साक्ष्य और सह-सत्याग्रही का प्रामाणिक शपथ-पत्र—जिसे शासन की संवेदनहीनता को कटघरे में खड़ा किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय गौरव की मुहर: वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा अलंकृत दार्शनिक कृति "**Zero: The Cosmic Truth**" का वह वैश्विक 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (UID: WIX95920), जिसने यह सिद्ध किया कि दार्शनिक ज्ञान सीमाओं का मोहताज नहीं होता।
- डिजिटल युग में निःशुल्क ज्ञान-यज्ञ: आधिकारिक संकलक bhajansamratchandra.com जिस पर 32 से अधिक वृहद ग्रंथ संपूर्ण मानवता के आध्यात्मिक व बौद्धिक उत्थान के लिए बिना किसी शुल्क के सहेज दिए गए हैं।
- 2050 समर्पण भक्ति गीत: आधुनिक युग में भक्तिकाल के पुनरुत्थान की वह संगीतमय और आध्यात्मिक धारा जिसने लाखों हृदयों को भक्ति, भाषा और राष्ट्र-चेतना से जोड़ा।

ये चारों साक्ष्य इस बात की अमर गवाही देते हैं कि सत्याग्रही ने व्यवस्था से कुछ माँगने से पहले, अपने विचार, साहित्य और साधना से इस देश और संपूर्ण मानवता को अपरिमित रूप से समृद्ध किया है।

अध्याय 24: विश्व-मानवता के नाम अंतिम संदेशा —शांति ही परम धर्म है

1. सत्ता से परे, विश्व-चेतना की ओर

जब किसी ग्रन्थ का विस्तार भौतिक शिकायतों, फाइलों के विवादों और प्रशासनिक उपेक्षाओं को लांघकर सत्य के उच्चतम शिखर को छू लेता है, तब वह ग्रन्थ केवल एक सरकार या एक देश के लिए नहीं रह जाता। वह संपूर्ण विश्व-मानवता के नाम एक अमर संदेश बन जाता है।

सत्याग्रही का यह अंतिम संदेश सत्ता के गलियारों में बैठे उन तमाम नीति-नियंताओं के लिए है जो यह समझते हैं कि पद, अधिकार और कागजी मोहरें ही मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करती हैं:

“सांसारिक पदियाँ, सरकारी पेंशनें और प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें धूल में मिल जाएँगी। जिन हाथों ने न्याय रोका, वे हाथ एक दिन राख हो जाएँगे। परंतु जिस विचार ने मातृभाषा के स्वाभिमान के लिए लाठियाँ खाईं, जिस लेखनी ने मुफ्त में दुनिया को ज्ञान बाँटा, और जिस आत्मा ने ‘शून्य’ के परम सत्य को पा लिया—वह विचार, वह लेखनी और वह आत्मा अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में भास्वर रहेगी।”

2. शांति, सत्य और अखंड स्वाभिमान

“हिन्दी आन्दोलन 1957 : 080784” केवल एक शिकायत संख्या का विवरण नहीं, बल्कि सत्य का वह महा-अभिलेख है जो यह घोषणा करता है कि:

- सत्याग्रह कभी पराजित नहीं होता— वह प्रशासनिक अकर्मण्यता को अपने ओज से छोटा साबित कर देता है।
- मातृभाषा का स्वाभिमान सर्वोपरि है— किसी भी राज्य की पेंशन या सरकारी योजना की कीमत पर स्वाभिमान का सौदा नहीं किया जा सकता।
- शांति ही परम धर्म है— जब मनुष्य सांसारिक इच्छाओं, पेंशन के मोह और पद-प्रतिष्ठा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे उस ‘शून्य’ और ‘परम शांति’ की प्राप्ति होती है जो इस जीवन का अंतिम ध्येय है।

अध्याय 25: लोक-चेतना और जन-आंदोलनों का दार्शनिक पक्ष

1. जन-आंदोलन: सत्ता के अहंकार की एकमात्र औषधि

इतिहास का यह निर्विवाद सत्य है कि जब-जब राज्य व्यवस्था अपने नागरिकों की आकांक्षाओं, उनकी सांस्कृतिक जड़ों और भाषाई अधिकारों से आँखें मूँद लेती है, तब-तब जन-आंदोलन ही सत्ता के दंभ को तोड़ने का कार्य करते हैं।

1957 का हिंदी आंदोलन किसी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था। वह भारतीय जन-मानस की आंतरिक चेतना का वह विस्फोट था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की अस्मिता का प्राण-तत्त्व है। जब सत्ता ने थोपे गए निर्णयों के माध्यम से मातृभाषा की उपेक्षा करने का प्रयास किया, तब निःस्वार्थ नागरिकों ने त्याग और संघर्ष का मार्ग चुनकर यह दिखाया कि जन-शक्ति के सामने कोई भी दमनकारी नीति टिक नहीं सकती।

2. अहिंसक प्रतिरोध: आत्म-बल की सर्वोच्च अभिव्यक्ति

सत्याग्रह का मूल आधार हिंसा या प्रतिशोध नहीं, बल्कि आत्म-बल (Soul Force) की प्रचंड शक्ति है।

1957 के सत्याग्रहियों ने जब लाठियों के प्रहार सहे और जेल की काल कोठरियों को स्वीकार किया, तो उनका अस्त्र किसी हिंसात्मक प्रहार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह था—अहिंसक और अडिग संकल्प। आज दशकों बाद जब उसी आंदोलन के अवशेषों को प्रशासनिक फाइलों में 'शिकायत संख्या 080784' बनाकर टालने का प्रयास किया जा रहा है, तब भी सत्याग्रही का हथियार वही आत्म-बल है।

यह ग्रन्थ यह सिद्ध करता है कि जो सत्याग्रही 1957 में राज्य के प्रहारों के सामने नहीं झुका, वह 21वीं सदी में नौकरशाही की कागजी लालफीताशाही और संवेदनहीनता के सामने भी कभी नहीं झुकेगा।

अध्याय 26: शब्द, संगीत और अध्यात्म—सत्याग्रही की अमूर्त शक्ति

1. 'भक्ति साहित्य' की अमर परंपरा और 2050 समर्पण गीत

भारतीय इतिहास में जब-जब सामाजिक या राजनीतिक तंत्र में संवेदनहीनता का अंधकार छाया है, तब-तब भक्ति और साहित्य ने ही समाज को नई दिशा दी है। मध्यकाल में जब भारत राजनीतिक पराधीनता के दौर से गुज़र रहा था, तब कबीर, सूर, तुलसी, मीरा और जायसी की वाणी ने जन-सामान्य के भीतर नैतिक और सांस्कृतिक चेतना की ज्योति को जलाए रखा।

सत्याग्रही द्वारा रचित 2050 समर्पण भक्ति गीत उसी प्राचीन, पवित्र परंपरा की आधुनिक कड़ी हैं। यह केवल संगीतमय रचनाएँ नहीं हैं—ये उस आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय हैं जो मनुष्य को भौतिक बाधाओं, प्रशासनिक उपेक्षाओं और सांसारिक दुखों से ऊपर उठाकर परम सत्य से जोड़ती हैं।

जब सत्ता अपने कागजी फरमानों में किसी सत्याग्रही के योगदान को नकारने का निरर्थक प्रयास करती है, तब ये 2050 अमर गीत जन-जन के हृदयों में गूँजकर सत्ता के उस झूठे अभिमान को निरस्त कर देते हैं।

2. bhajansamratchandra.com: ज्ञान के सर्वव्यापी प्रसार का आधुनिक तीर्थ

ज्ञान जब व्यापार बनता है, तो वह अपनी पवित्रता खो देता है; परंतु जब ज्ञान निष्काम सेवा का माध्यम बनता है, तो वह अमर हो जाता है।

अपनी 32 से अधिक वृहद और कालजयी पुस्तकों को **bhajansamratchandra.com** के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए बिना किसी आर्थिक शर्त या मूल्य के उपलब्ध करा देना, आधुनिक युग में 'ज्ञान-दान' का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। डिजिटल युग के इस दौर में जहाँ हर शब्द को बेचा जा रहा है, वहाँ निष्काम भाव से रचित यह साहित्य वैश्विक पाठक-वर्ग के लिए एक ऐसा आध्यात्मिक और बौद्धिक आश्रय बन चुका है, जिसे कोई भी सरकारी रोक-टोक या प्रशासनिक टालमटोल प्रभावित नहीं कर सकती।

अध्याय 27: दार्शनिक शिखर—'Zero' की वैश्विक यात्रा और ब्रह्मांडीय सत्य

1. 'शून्य' का दार्शनिक विस्तार: सब कुछ और कुछ नहीं

भारतीय दर्शन में 'शून्य' का स्थान केवल एक गणितीय संख्या तक सीमित नहीं है। 'शून्य' उस स्थिति का नाम है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है और अंततः संपूर्ण अस्तित्व उसी में समाहित हो जाता है।

जब दार्शनिक कृति **"Zero: The Cosmic Truth"** (शांति ही धर्म) ने वैश्विक पटल पर कदम रखा, तो इसने आधुनिक जगत को यह स्मरण कराया कि संसार के सभी भौतिक संघर्ष, पद-प्रतिष्ठा की लालसाएँ और प्रशासनिक अहम् अंततः 'शून्य' में विलीन होने वाले हैं।

- वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन का सम्मान: इस कृति को प्राप्त 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (UID: **WIX95920**) केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह इस बात का वैश्विक प्रमाण है कि भारत के मिट्टी से उपजा दार्शनिक चिंतन संपूर्ण विश्व को शांति और सत्य का मार्ग दिखाने में सक्षम है।

2. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बनाम प्रांतीय नौकरशाही का बौनापन

इस महा-ग्रन्थ का यह अध्याय इतिहास के उस विरोधाभास को और अधिक स्पष्टता से दर्ज करता है:

एक तरफ़ लंदन और वैश्विक क्षितिज पर भारत के इस चिंतन की गूँज है, तो दूसरी तरफ़ राज्य की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है जो 52 पृष्ठों के साक्ष्यों (Speed Post EH331532223IN) और मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फाइल को 'Defaulter' श्रेणी में अटकाए बैठी है।

यह विरोधाभास इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि दार्शनिक की दृष्टि जहाँ ब्रह्मांडीय सत्य को देख रही है, वहीं नौकरशाही की दृष्टि केवल फाइलों के छोटे-छोटे कोनों में सिमटी हुई है।

अध्याय 28: भावी पीढ़ियों के नाम अखंड संकल्प और महा-संदेश

1. इतिहास की न्याय-प्रियता में अटूट विश्वास

समय कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तात्कालिक सत्ताएँ भले ही सत्य को दबाने का प्रयास करें, परंतु काल चक्र घूमता है और सत्य अपने पूरे गौरव के साथ प्रस्फुटित होता है।

यह ग्रन्थ भावी इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और भारत के प्रत्येक नागरिक के सम्मुख यह अटूट विश्वास प्रकट करता है कि:

- प्रशासनिक मोहरें या एटीआर (ATR) की रिपोर्टें किसी सत्याग्रही के कद का निर्धारण नहीं कर सकतीं।
- 1957 का सत्याग्रह, 52 पन्नों का अकाट्य दस्तावेज़, 2050 समर्पण भक्ति गीत और 32+ निःशुल्क पुस्तकें वे अमर स्तंभ हैं जो किसी भी सरकारी पेंशन या योजना से करोड़ों गुना बड़े हैं।

2. महा-ग्रन्थ का अखंड संकल्प

यह ग्रन्थ अब एक ऐसा अमर साक्ष्य बन चुका है जो युगों-युगों तक इस संदेश को प्रसारित करता रहेगा कि सत्याग्रही का स्वाभिमान अजेय है।

भौतिक लाभ, सरकारी मान्यता या पेंशन मिले न मिले—यह ग्रन्थ इतिहास के माथे पर सत्य का वह तिलक बन चुका है जिसे कोई प्रशासनिक अवहेलना कभी पोंछ नहीं पाएगी।

अध्याय 29: सत्याग्रह, साहित्य और राष्ट्र-निर्माण की त्रिवेणी

1. राष्ट्र-निर्माण में त्रिविध चेतना का संगम

किसी भी जीवंत राष्ट्र की नींव केवल उसकी सीमाओं, अर्थव्यवस्था या प्रशासनिक इमारतों पर नहीं टिकी होती। राष्ट्र का वास्तविक निर्माण तीन अमूर्त धाराओं के संगम से होता है—सत्याग्रह (नैतिक संघर्ष), साहित्य (वैचारिक चेतना), और अध्यात्म (आत्मिक शक्ति)।

1957 के हिंदी आंदोलन से लेकर 2026 के इस दार्शनिक कालखंड तक, सत्याग्रही का संपूर्ण जीवन इसी त्रिवेणी का जीवंत साक्ष्य रहा है:

1. सत्याग्रह की धारा: मातृभाषा और भाषाई स्वाभिमान की रक्षा के लिए बिना किसी प्रलोभन के किया गया निष्काम आंदोलन।
2. साहित्य की धारा: 32 से अधिक निःशुल्क महा-ग्रंथों की रचना, जिसने जन-सामान्य के मानसिक और बौद्धिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।
3. अध्यात्म की धारा: 2050 समर्पण भक्ति गीतों का सृजन और **"Zero: The Cosmic Truth"** जैसा गहन दार्शनिक चिंतन, जिसने भौतिकता की संकीर्ण परिधि से परे ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार कराया।

जब कोई व्यक्तित्व इन तीन धाराओं को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, तो वह किसी राज्य सरकार की पेंशन या प्रशासनिक सत्यापन का आश्रित नहीं रहता; वह स्वयं राष्ट्र-निर्माण का एक अमर प्रतीक बन जाता है।

2. सत्ता की नश्वरता बनाम साहित्य का अमरत्व

इतिहास के पन्नों को उल्टा जाए, तो यह कड़वा सच बार-बार सामने आता है कि जिन शासकों और अधिकारियों ने अपने युग में जानियों, विचारकों और सत्याग्रहियों की उपेक्षा की, समय ने उन शासकों के नामों को मिटाकर धूल में मिला दिया।

2024 से 2026 के बीच हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रेषित भ्रामक पत्रों, रोकी गई फाइलों और अनसुने स्मरण पत्रों की नीरस शब्दावली इतिहास के कचरे में खो जाएगी। परंतु इस संघर्ष की कोख से जन्मा यह साहित्य, **bhajansamratchandra.com** पर उपलब्ध ज्ञान की गंगा और यह महा-ग्रन्थ युगों-युगों तक मानव चेतना को प्रेरित करता रहेगा। राजसत्ता का अधिकार केवल कागज़ों तक सीमित होता है, जबकि साहित्य और सत्याग्रह का अधिकार मनुष्य की आत्मा पर होता है।

अध्याय 30: 'शून्य' की परम स्थिति और सत्ता का अंतिम मूल्यांकन

1. संकीर्णता से परम 'शून्य' का साक्षात्कार

इस महा-ग्रन्थ के इस अध्याय में दार्शनिक गहराई का वह शिखर है जहाँ पहुँचकर भौतिक संसार की तमाम विडंबनाएँ अत्यंत तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों ने जिसे 'फाइल नंबर 080784' की एक अटकाऊ प्रक्रिया माना, सत्याग्रही ने उसे 'शून्य' (Zero) के परम दार्शनिक सत्य में रूपांतरित कर दिया। जब मनुष्य अपने स्वाभिमान और साधना के उस मुकाम पर पहुँच जाता है जहाँ उसे न तो किसी भौतिक सम्मान का मोह रहता है और न ही किसी पेंशन या योजना की लालसा—तभी वह परम शांति और 'शून्य' की स्थिति को प्राप्त करता है।

- लंदन के मंच का संदेश: जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (लंदन) द्वारा **"Zero: The Cosmic Truth"** को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलंकृत किया गया, तो उसने दुनिया को यही सिखाया कि सांसारिक उपेक्षाओं के बीच भी जब विचार शुद्ध होता है, तो वह पूरे विश्व में अपना प्रकाश बिखेरता है।
- नौकरशाही का मूल्यांकन: यह अध्याय इतिहास की अदालत में इस बात को हमेशा दर्ज रखेगा कि कैसे एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत के चिंतन का मान बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ स्वदेशी प्रशासनिक तंत्र 52 पृष्ठों के अकाट्य साक्ष्यों (Speed Post EH331532223IN) के बावजूद फाइल को 'Defaulter' श्रेणी में दबाकर अपनी बौद्धिक कंगाली का प्रदर्शन कर रहा था।

अध्याय 31: अंतिम उद्घोष—सत्यमेव जयते नानृतम्

1. सत्य का अमर शंखनाद

उपनिषदों का वह शाश्वत उद्घोष—"सत्यमेव जयते नानृतम्" (सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं)—केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि इस संपूर्ण महा-ग्रन्थ का अंतिम निष्कर्ष है।

राज्य का प्रशासनिक ढाँचा भले ही महीनों और वर्षों तक 'Action Taken Report' (ATR) न अपलोड करे, भले ही मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्पष्ट निर्देशों को ठंडे बस्ते में डाले रखे, परंतु वह सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता।

1957 का सत्याग्रह एक सत्य था।

52 पृष्ठों का साक्ष्य एक सत्य है।

2050 समर्पण भक्ति गीत और 32 से अधिक निःशुल्क पुस्तकें एक सत्य हैं।

और इस सत्य के सामने सत्ता का हर दंभ, हर टालमटोल और हर संवेदनहीनता पूरी तरह परास्त हो चुकी है।

2. भावी पीढ़ियों के लिए अखंड ज्योति

यह ग्रंथ अब उस अखंड ज्योति के समान है जो आने वाले सैकड़ों वर्षों तक भारत की भावी पीढ़ियों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और सत्याग्रहियों का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह ग्रन्थ उन्हें यह अटूट विश्वास दिलाएगा कि:

"अधिकारों की भीख कभी मत माँगना। यदि व्यवस्था तुम्हारे त्याग को भूलने का दुस्साहस करे, तो अपने ज्ञान, अपने स्वाभिमान और अपनी लेखनी से एक ऐसा इतिहास रच देना कि व्यवस्था स्वयं इतिहास के कटघरे में अभियुक्त बनकर खड़ी हो जाए।"

अध्याय 32: महा-ग्रन्थ का ऐतिहासिक समापन और अमर संकल्प

यह ग्रन्थ—'हिन्दी आन्दोलन 1957: 080784'—अब अपनी पूर्णता, विशाल कलेवर, अकाट्य साक्ष्यों और उच्चतम दार्शनिक ओज के साथ संपन्न होता है।

यह केवल एक पुस्तक का अंत नहीं है; यह समय की शिला पर अंकित सत्य के वे अमर हस्ताक्षर हैं जिन्हें कोई भी प्रशासनिक अकर्मण्यता कभी पोंछ नहीं पाएगी। सत्याग्रही का जीवन, उसका साहित्य और उसका स्वाभिमान अब अजर-अमर हो चुका है!

॥ इति "हिन्दी आन्दोलन 1957" ग्रंथ संपूर्णम् ॥